वेल्थ टैकर इंडिया 2026

अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ गैरबराबरी ख़त्म करो

CFA
Centre for Financial Accountability

TAX THE TOP

वेल्थ ट्रैकर इंडिया | अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ, गैरबराबरी ख़त्म करो

शोध: जैकब जोशी (पीएचडी उम्मीदवार, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली)

लेखक: अनिर्बान भट्टाचार्य | समन्वयक: राज शेखर

डिज़ाइन और लेआउट: हरिप्रिया हर्षन

प्रकाशन: सेंटर फॉर फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी और टैक्स द टॉप

वेबसाइट: www.taxthetop.org | ईमेल: standagainstinequality2026@gmail.com | www.cenfa.org | ईमेल: info@cenfa.org

मार्च: 2026

कॉपीलेफ्ट: इस दस्तावेज़ के किसी भी भाग का गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते स्रोत का उचित उल्लेख किया जाए।

केवल निजी प्रसार हेतु

TABLE OF CONTENTS

भूमिका 01

प्रमुख सारांश 03

गैरबराबरी पर चुप्पी तोड़ो

ऊपर के 1% और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच बढ़ती खाई 05

₹1,000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले भारतीय 2019–2025 10

सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में बहुत तेज़ बढ़ोतरी: भारत के टॉप 100 सबसे अमीर लोग

टॉप 10 सबसे अमीर भारतीय 14

भारत के टॉप 5 अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोत्तरी 16

दो आदमी बनाम भारत की जनता 18

गैरबराबरी की परतें 19

अति अमीर लोगों पर संपत्ति टैक्स (वेल्थ टैक्स) क्यों नहीं लगाया जाए? 21

संभावनाएं अति अमीर वर्ग पर टैक्स लगाने की 23

टॉप 5 पर टैक्स लगाना 24

टॉप 100 पर टैक्स लगाना 34

टॉप 2 पर टैक्स लगाना 36

1,000 करोड़ या इससे अधिक की संपत्ति पर टैक्स 38

- प्रगतिशील टैक्स स्लैब 39
- विरासत टैक्स को भी जोड़ा जाए 40
- विरासत टैक्स से कितना राजस्व आ सकता है? 41

प्रस्ताव 44

परिदृश्य 1: स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन सुनिश्चित करना 44

परिदृश्य 2: जलवायु अनुकूलन, मनरेगा, एलपीजी संकट, किसानों के लिए एमएसपी और एयर प्यूरीफायर हेतु बजट सुनिश्चित करना 48

परिदृश्य 3: जलवायु अनुकूलन, वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्ट्रीट वेंडर्स, किसानों के लिए एमएसपी और रूफटॉप सोलर हेतु बजट सुनिश्चित करना 51

मिथकों का खंडन 54

निष्कर्ष: संपत्ति टैक्स से आगे 56

भूमिका

आज हम जो देख रहे हैं, वह आज़ाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। बहुत महंगी शादियाँ, ज़्यादा राजनीतिक ताकत, मीडिया पर काफ़ी हद तक नियंत्रण और बहुत ज़्यादा दौलत, ये सब एक साथ दिखाई दे रहा है। भारत में अमीरी-गरीबी का फर्क बहुत बढ़ गया है, जो अंग्रेज़ों के समय जैसा लगता है। देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 40% से ज़्यादा संपत्ति है। ऊपर के 10% लोग लगभग 60% कमाई ले जाते हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों को सिर्फ 15% ही मिलता है।

भारत में डॉलर अरबपतियों की संख्या 1991 में केवल 1 थी, जो 2025 तक बढ़कर 358 से अधिक हो गई है। आज देश में केवल 1,688 लोगों की संपत्ति ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है, और उनकी कुल संपत्ति ₹166 लाख करोड़ से भी अधिक है, जो भारत के GDP का लगभग 50% है!

सरकार जहाँ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर ज़्यादा पैसा खर्च करने से हिचकती है, वहीं उसने लोकसभा में बताया है कि पिछले 11 सालों में भारतीय बैंकों ने ₹19,66,554 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए हैं, जिससे ज़्यादातर फायदा 1% से भी कम संख्या वाले अमीरों को हुआ है। जहाँ ज़्यादातर भारतीय लोगों को अच्छे जीवन और रोज़गार के लिए मुलभुत ज़रुरतों में कम सरकारी खर्च के साथ गुज़ारा करना पड़ता है, वहीं बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती रहती है। आज हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहाँ एक तरफ अरबपतियों की संख्या में हम बहुत आगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भूख के मामले में हमारी स्थिति काफी खराब होती जा रही है।

इस तरह की ज़्यादा असमानता, भाई-भतीजावाद और एकाधिकार को अगर हमने नहीं रोका तो हमारी लोकतंत्र की नींव कमज़ोर हो जाएगी। ऊपर बैठे देश के बेहद अमीर लोग, जिनके पास हजारों करोड़ की दौलत है, और नीचे के करोड़ों लोग, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कर्ज़ में फँसते जा रहे हैं, उनके बीच बढ़ती गैरबराबरी की खाई को पाटना होगा

हाल ही में अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की अगुवाई और स्वतंत्र रूप से जुड़े विशेषज्ञों की G20 द्वारा बनाई गई एक विशेष समिति ने बताया कि दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी — यानी करीब 2.3 अरब लोग — अब मध्यम या गंभीर भूख की समस्या से जूझ रहे हैं। यह संख्या 2019 में 33.5 करोड़ थी। पिछले 25 सालों में अमीरी-गरीबी का फर्क बहुत बढ़ गया है, और आज दुनिया के 90% लोग ऐसे समाजों में रहते हैं जहाँ आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि यह स्थिति किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि नीतियों (पॉलिसी) का नतीजा है, और इसे सही नीतियों जैसे ज्यादा टैक्स और संपत्ति के सही बंटवारे से बदला जा सकता है। दुनिया भर में इस बढ़ती असमानता पर बात हो रही है और इसे कम करने की कोशिशें भी बढ़ रही हैं। लेकिन भारत में ऐसी चर्चा नीतियों के स्तर पर काफी कम दिखाई देती है, जबकि हम धीरे-धीरे अपने संविधान के उस वादे से दूर होते जा रहे हैं, जिसमें दौलत के एक जगह इकट्ठा होने को रोकने की बात कही गई थी। "ट्रिकल डाउन इकॉनमी" (यानी ऊपर वालों की अमीरी नीचे तक पहुँचेगी) का वादा भी सही साबित नहीं हुआ।

इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत अमीर लोगों पर टैक्स लगाने की मांग को आसान भाषा में लोगों तक पहुँचाएँ। यह सामग्री उसी में मदद करने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद है कि "वेल्थ टैक्स" (संपत्ति कर) की मांग को आसान और समझने लायक बनाया जाए, ताकि हर आम आदमी इससे जुड़ सके। अक्सर अरबपतियों की बहुत बड़ी-बड़ी संपत्ति के आंकड़े समझना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर बहुत अमीर लोगों पर थोड़ा सा टैक्स लगाया जाए, तो उससे हमें क्या-क्या जरूरी चीजें मिल सकती हैं। यह भी बताया गया है कि अभी सरकार जो खर्च करती है, वह ऐसे टैक्स के मुकाबले कितना है, और अगर ₹1000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वालों पर सही टैक्स लगाया जाए, तो हम लोगों को कौन-कौन से अधिकार और सुविधाएँ दे सकते हैं। यह सब इसलिए तैयार किया गया है ताकि लोगों के लिए काम करने वाले आंदोलनों को यह समझाने में मदद मिले कि "पैसों की कमी" की बात हमेशा सही नहीं होती, और अमीरों पर टैक्स लगाकर आम लोगों के लिए ज़रूरी सुविधाएँ जुटाई जा सकती हैं।

प्रमुख सारांश

- 2019 में भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 36.5% हिस्सा था, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 6.8% था।
- 2022 से यह आंकड़ा लगभग स्थिर है: अमीर 1% के पास 40.1% और नीचे के 50% के पास सिर्फ 6.4% संपत्ति है। सोर्स: वर्ल्ड इनक्वालिटी डेटाबेस
- 2019 से 2025 के बीच ₹1000 करोड़ या उससे ज़्यादा संपत्ति वाले लोगों की संख्या 77% बढ़ गई।
- इसी समय में उनकी कुल संपत्ति 227% तक बढ़ गई, जो बहुत ज़्यादा है।
- 2019 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति लगभग ₹31 लाख करोड़ थी। 2025 तक यह बढ़कर लगभग ₹88 लाख करोड़ हो गई है।
- मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, सुनील मित्तल और शिव नादर इन सबकी कुल संपत्ति 2019 से 2025 के बीच 4 गुना बढ़ी।
- अंबानी की संपत्ति 153% बढ़ी, जबकि अडानी की संपत्ति 625% तक बढ़ गई। सोर्स: हुरुन रिच लिस्ट
- भारत में करीब 90% अरबपतियों की संपत्ति ऊँची जातियों के पास है।
  सोर्स: वर्ल्ड इनक्वालिटी डेटाबेस

संपत्ति टैक्स: सिर्फ *2%* से क्या हो सकता है?

- यदि 2019 से 2025 के बीच मुकेश अंबानी की संपत्ति पर केवल 2% का संपत्ति टैक्स लगाया गया होता, तो इससे इतना राजस्व प्राप्त हो सकता था कि तीन वर्षों तक सभी कक्षा 10 के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जा सके।
- हर साल *2.85* करोड़ महिलाओं को *₹18,000* देने में करीब *₹51,300* करोड़ खर्च होंगे। अंबानी पर *2%* टैक्स लगाकर लगभग *2* साल तक यह सुविधा दी जा सकती है।
- इसी तरह, 2019 से 2025 के बीच गौतम अडानी की संपत्ति पर 2% संपत्ति टैक्स लगाने से इतनी राशि जुटाई जा सकती थी कि पूरे देश में दो वर्षों से अधिक समय तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को वित्तपोषित किया जा सके।
- अडानी पर *2%* टैक्स से *87* करोड़ मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जा सकते हैं।
- अगर सावित्री जिंदल पर *2%* टैक्स लगाया जाए, तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति *9* साल तक और अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति *14* साल तक चलाई जा सकती है।

₹1000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले 1688 बहुत अमीर परिवारों पर 2% से 6% तक का बढ़ता (प्रगतिशील) संपत्ति टैक्स और साथ में एक-तिहाई विरासत टैक्स लगाया जाए, तो हर साल लगभग ₹10.63 लाख करोड़ आम लोगों पर खर्च किए जा सकते हैं।

इससे लोगों के लिए बड़े बदलाव हो सकते हैं:

पहला विकल्प- जनहित योजनाओं को मज़बूत किया जा सकता है

- तुरंत स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का 1% बढ़ाया जा सकता है
- शिक्षा पर भी जीडीपी का 1% ज़्यादा खर्च किया जा सकता है (जिससे 6% के लक्ष्य के करीब पहुँचा जा सके)
- सभी बुज़ुर्गों को ₹12,000 प्रति महीना पेंशन दी जा सकती है (अभी केंद्र सरकार से सिर्फ ₹200 मिलते हैं, जो बहुत कम है)

दूसरा विकल्प- व्यापक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा

- इसे बंद करने के बजाय, मनरेगा की मज़दूरी बढ़ाकर ₹800 प्रति दिन की जा सकती है
- जलवायु बदलाव से निपटने के लिए जीडीपी का 1.3% खर्च किया जा सकता है
- किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी दी जा सकती है
- एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच सामुदायिक रसोई चलाई जा सकती हैं
- शहरों में 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त एयर प्यूरीफायर दिए जा सकते हैं

ऊपर के 1% और हाशिए पर मौजूद लोगों के बीच बढ़ती खाई

आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि बहुत ज़्यादा अमीरी-गरीबी को लोग सामान्य मानने लगे हैं, जैसे इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि इतनी ज़्यादा दौलत कुछ लोगों के पास होना किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों का नतीजा है। इसे समझने के लिए हम ऊपर के 10% और नीचे के 50% लोगों की संपत्ति के रुझान को देख सकते हैं।

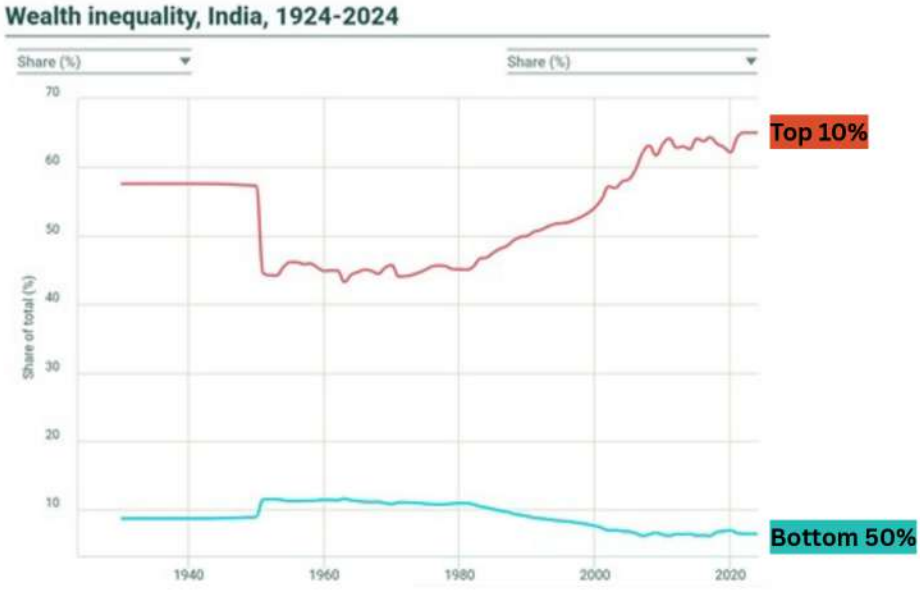

Share of Wealth: Top 10% vs Bottom 50% (1924-2024)
World Inequality Database, Wealth Inequality, India

अगर हम पिछले 100 सालों का आंकड़ा देखें, तो दो बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। पहला बदलाव आज़ादी के समय आया, जब हमने ऐसा संविधान अपनाया जो पहले से ज़्यादा बराबरी वाला भारत बनाना चाहता था। हालाँकि भूमि सुधार पूरी तरह सफल नहीं हुए और अमीर वर्ग का प्रभाव भी था, फिर भी इसका असर दिखा ऊपर के 10% की संपत्ति में कमी आई और नीचे के लोगों की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। यह उस समय की सरकारी नीतियों और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का असर था।

दूसरा बड़ा बदलाव 1980 के दशक के बीच और 1990 के समय आया, जब नई आर्थिक नीतियाँ (निजीकरण और बाज़ार पर ज़ोर) अपनाई गईं। यही वह समय था जब आज़ाद भारत में नीचे के 50% लोगों की स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हुआ और ऊपर के 10% और नीचे के 50% लोगों की राह अब बिल्कुल अलग हो गई है। ऊपर के लोग तेज़ी से अमीर होते जा रहे हैं, जैसे विकास का पूरा फायदा उन्हें ही मिल रहा हो, जबकि नीचे के लोग उसी समय और पीछे जाते जा रहे हैं। और यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है।

अपनी किताब इक्कीसवीं शताब्दी में पूंजी में थॉमस पिकेटी ने संपत्ति की असमानता के तीन दौर बताए हैं। पहला दौर पहले विश्व युद्ध से पहले का था, करीब 1910 के आसपास, जब असमानता सबसे ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए, यूरोप में 10% लोगों के पास लगभग 90% संपत्ति थी। इसके बाद का दौर आया, जब दो विश्व युद्ध, ग्रेट डिप्रेशन, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और समाजवाद के बढ़ने जैसी वजहों से असमानता कम हुई। 1980 के आसपास यह सबसे कम स्तर पर थी, जब यूरोप में ऊपर के 10% लोगों के पास 60% से भी कम संपत्ति रह गई थी। इसमें एक बड़ा कारण था — सरकारों का ज़्यादा टैक्स लेना (खासकर अमीरों से) और उस पैसे को समाज पर खर्च करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएँ।

लेकिन 1970 के दशक के बाद यह स्थिति बदलने लगी। अमीर वर्ग (कैपिटल) ने ज़्यादा हिस्सेदारी माँगनी शुरू की। उन्हें टैक्स, सरकारी नियम और संपत्ति के बंटवारे जैसी चीज़ें पसंद नहीं थीं। वे मानते थे कि बाज़ार (मार्केट) खुद सब ठीक कर देगा। इसे "नव-उदारवाद" कहा गया, जिसमें बाज़ार को सबसे ऊपर रखा गया। 1980 के दशक में रॉनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर के समय यह सोच पूरी तरह लागू हो गई। इसके बाद अमीरों के लिए टैक्स कम किए गए, ट्रेड यूनियनों को कमजोर किया गया, सरकारी नियम कम किए गए, सरकारी संस्थानों का निजीकरण हुआ और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च घटाया गया।

1950-80 की अवधि की तुलना में, इसके बाद के चरण में वैश्विक कर राजस्व और सामाजिक व्यय में उल्लेखनीय कमी देखी गई। 1980 के दशक के बाद नवउदारवादी सहमति के तहत प्रगतिशील आयकर दरों में तेज गिरावट आई, क्योंकि यह माना गया कि कराधान आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है और यह आर्थिक प्रोत्साहनों को विकृत करता है। इसके साथ ही, कल्याणकारी राज्य मॉडल की विशेषता रहे सामाजिक व्यय में भी ठहराव आ गया। वैश्विक कर नीति में एक समानांतर और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति 1980 के दशक के बाद से कॉरपोरेट आयकर दरों में लगातार और तेज गिरावट रही है।
1985 से 2018 के बीच, वैश्विक औसत 1985 से 2018 के बीच, वैश्विक औसत वैधानिक कॉरपोरेट कर दर आधे से भी अधिक घटकर 49% से 24% रह गई, जिससे संपत्ति के संकेंद्रण को लेकर चिंताएँ और बढ़ गईं। भारत ने भी अपने नीतिगत ढांचे में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने के साथ इसी तरह की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया है।

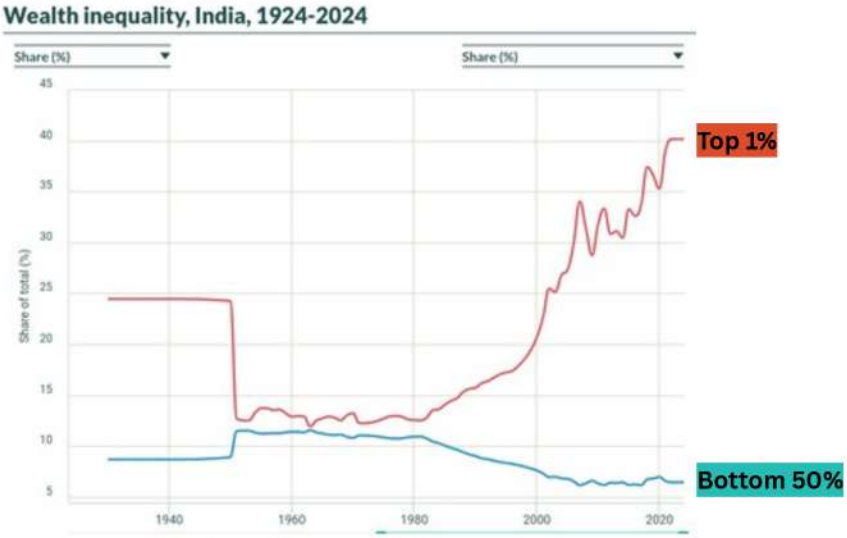

संपत्ति का हिस्सा: शीर्ष *1%* बनाम निचले *50% (1924–2024)*
World Inequality Database, Wealth Inequality, India
धन के असमान बंटवारे का डेटा: भारत *(1924–2024)*

पिछले 100 वर्षों में भारत के शीर्ष 1% की संपत्ति के संदर्भ में यह प्रवृत्ति समान है, लेकिन और भी अधिक तीव्र रही है। लाल रेखा में गिरावट स्वतंत्रता के आसपास अधिक तेज थी, जबकि 1990 के दशक और 21वीं सदी में इसकी वृद्धि कहीं अधिक तीव्र और तेज़ रही है। यह कोई पूर्वनिर्धारित परिणाम नहीं था, बल्कि नवउदारवादी मार्ग को अपनाने का नतीजा था, जिसके कारण राज्य ने अपनी पुनर्वितरण और नियामक भूमिका से धीरे-धीरे पीछे हटना शुरू किया। इसका परिणाम कॉरपोरेट क्षेत्र को कर छूट और बड़े पैमाने पर कर्ज़ माफी के रूप में सामने आया, जबकि गरीबों के लिए कल्याणकारी खर्च में कमी आई। इस प्रकार, नीली और लाल रेखाएं दो अलग-अलग भारत को दर्शाती हैं। लाल रेखा की बढ़त, नीली रेखा के कल्याण की कीमत पर होती है—जो उस "ट्रिकल-डाउन" प्रभाव का इंतजार करती रही, जो कभी वास्तव में साकार नहीं हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि लाल रेखा में अंतिम तेज़ उछाल महामारी और लॉकडाउन के दौरान दिखाई दिया था। जहाँ एक ओर वायरस, अत्यंत कठोर लॉकडाउन और सरकार की लापरवाही ने भारत के करोड़ों गरीब लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर इससे सबसे अमीर वर्ग की संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% की वृद्धि हुई। मुकेश अंबानी महामारी के दौरान प्रति घंटे ₹90 करोड़ कमा रहे थे, जबकि देश की निचली 24% आबादी प्रति माह ₹3,000 से भी कम कमा रही थी। इसी तरह, गौतम अडानी की कुल संपत्ति में एक ही वर्ष में 728% की वृद्धि हुई।

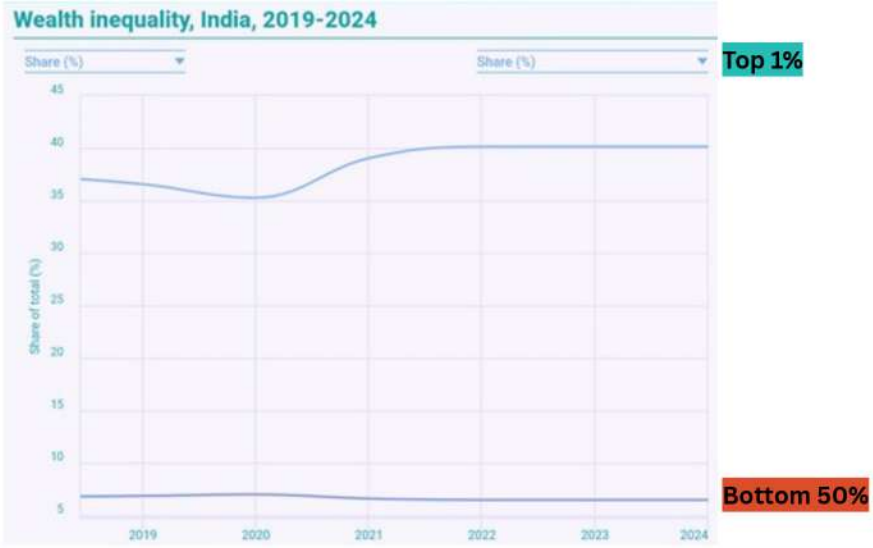

संपत्ति का हिस्सा: शीर्ष 1% बनाम निचले 50% (2019–2024)
वर्ल्ड इनक्वॉलिटी डेटाबेस, वेल्थ इनक्वॉलिटी, भारत
धन के असमान बंटवारे का डेटा: भारत (2019–2024)

अगर हम 2019 से यानी महामारी से ठीक पहले के समय से संपत्ति के रुझान को करीब से देखें, तो अमीरी-गरीबी की खाई और अमीरों की संपत्ति में तेज़ बढ़ोतरी साफ दिखाई देती है। 2020 के बाद ऊपर के 1% लोगों की संपत्ति तेज़ी से बढ़नी शुरू होती है और फिर एक स्तर पर स्थिर हो जाती है।

- 2019 में भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 36.5% हिस्सा था, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 6.8% था।
- 2022 से यह स्थिति लगभग स्थिर है — ऊपर के 1% के पास 40.1% संपत्ति है और नीचे के 50% के पास सिर्फ 6.4%

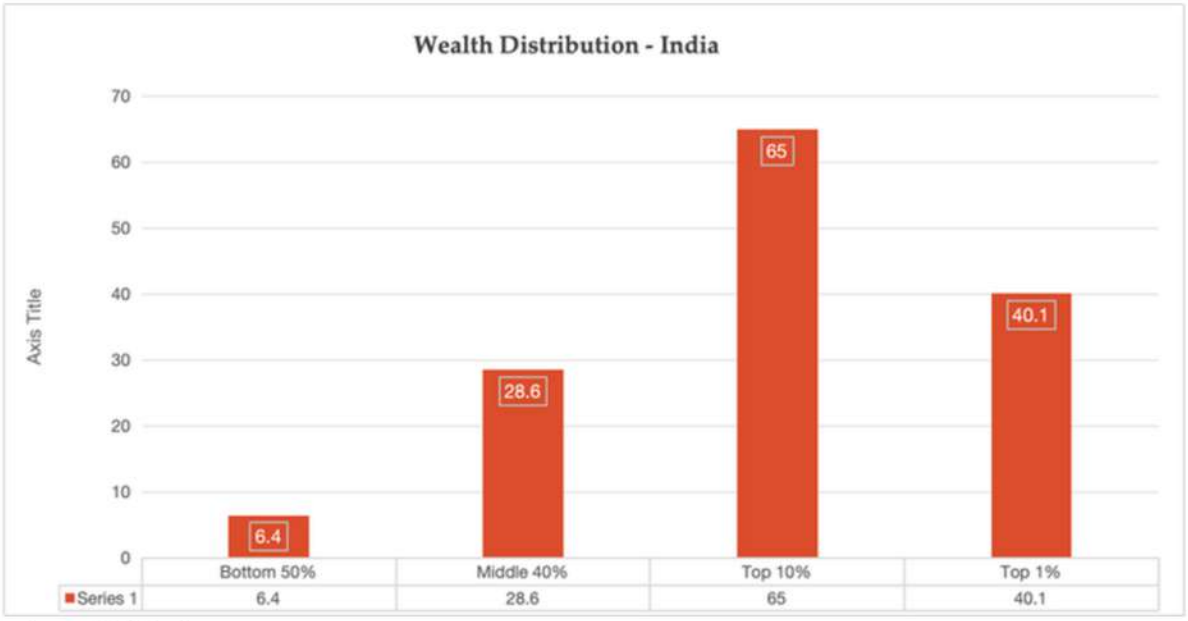

वर्ल्ड इनक्वॉलिटी डेटाबेस

उनकी संपत्ति का प्रतिशत हिस्सा "दो भारत" की तस्वीर पेश करता है, जो एक-दूसरे से लगातार दूर होते जा रहे हैं और एक विशिष्ट के-आकार की विकास प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। इसमें ऊपर का छोटा वर्ग तेजी से समृद्ध होता दिखता है, जबकि गरीब वर्ग महँगाई के झटकों, थमी हुई मजदूरी और बढ़ते कर्ज के बोझ तले जूझता है।

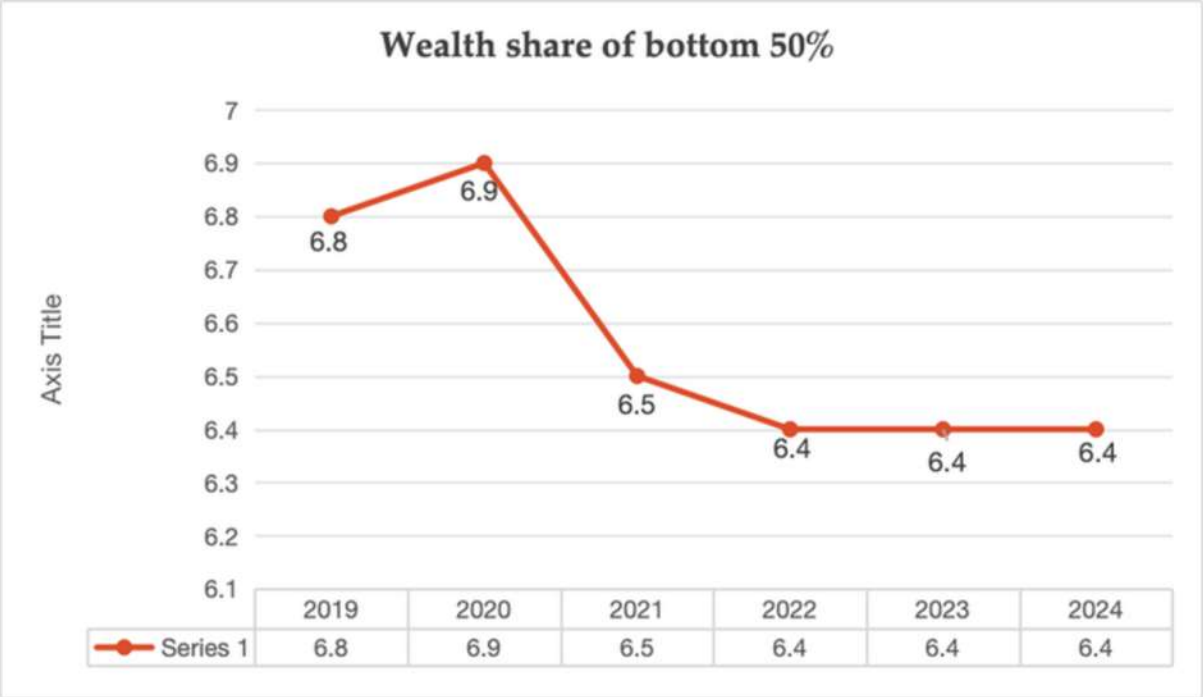

वर्ल्ड इनक्वॉलिटी डेटाबेस

₹1,000 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले भारतीय 2019–2025

हाल के वर्षों में ₹1,000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या, जो हुरुन रिच लिस्ट में शामिल हैं, तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ उनकी कुल संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- **2019 से 2025 के बीच ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या (हेडकाउंट) में 77% की वृद्धि हुई है।**

- **इसी अवधि में उनकी कुल संपत्ति में चौंकाने वाली 227% की वृद्धि हुई।**

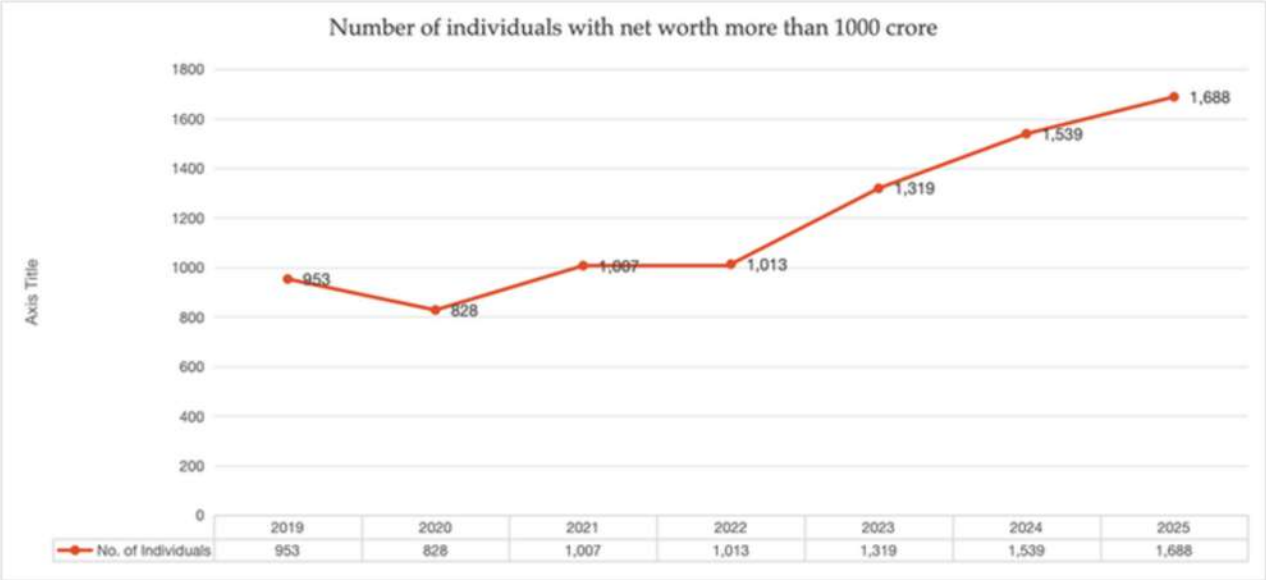

सोर्स : हुरुन रिच लिस्ट *2019-2025*

इसी अवधि में घरेलू स्तर पर कर्ज़ के चिंताजनक स्तर भी देखे गए, क्योंकि आम भारतीयों को बड़े पैमाने पर कर्ज़ लेना पड़ा—जो अधिकतर उत्पादक उद्देश्यों या संपत्ति खरीदने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया गया था।

- **घरेलू स्तर पर कर्ज़ ₹69.9 लाख करोड़ (2019-20) से बढ़कर 2024-25 में ₹136.6 लाख करोड़ हो गया है जो केवल पाँच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है।**

- **व्यय योग्य आय (यानि खर्च करने वाली कमाई) के अनुपात में कर्ज़ 34.2% से बढ़कर 42.1% हो गया है अर्थात् परिवार अपनी वास्तविक आय का बढ़ता हुआ हिस्सा उधार लेकर पूरा कर रहे हैं। [राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और आरबीआई]**

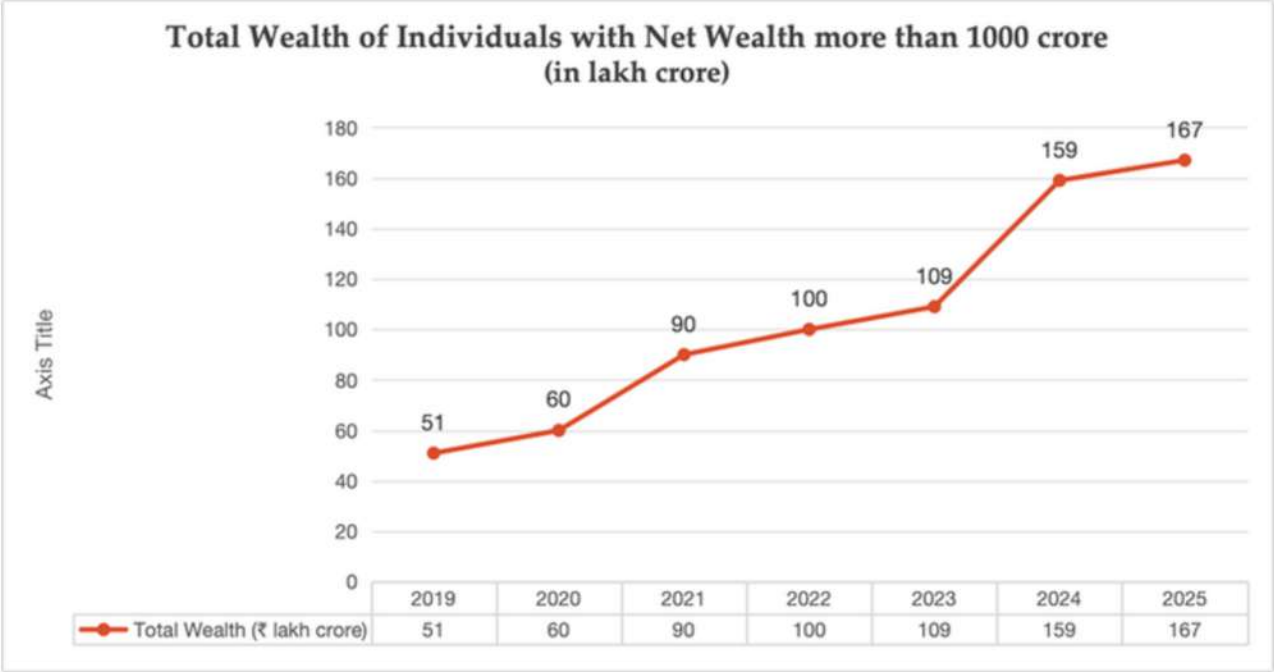

सोर्स : हुरुन रिच लिस्ट *2019-2025*

2019 में, भारत में ₹1000 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या एक हजार से थोड़ी कम थी (ठीक 953)। कुल मिलाकर, उनके पास लगभग ₹50 लाख करोड़ की संपत्ति थी। यह एक बहुत बड़ी राशि थी, लेकिन जल्द ही यह मामूली लगने लगी।

महामारी आने के बाद 2020 में यह संख्या घटकर 828 रह गई, क्योंकि 125 लोग सूची से बाहर हो गए। बाजार गिरे, व्यवसाय लड़खड़ाए लेकिन कोविड-19 महामारी के बावजूद उनकी कुल संपत्ति में कमी नहीं आई। 2021 तक स्थिति पूरी तरह संभल चुकी थी और संख्या फिर से एक हजार के पार पहुँच गई। कुल संपत्ति भी केवल पहले के स्तर तक ही नहीं पहुँची, बल्कि बढ़कर ₹90 लाख करोड़ हो गई, जो महामारी से पहले के स्तर से लगभग 50% अधिक थी। अमीर वर्ग ने सिर्फ कोविड-19 बीमारी का सामना ही नहीं किया, बल्कि उससे लाभ भी उठाया।

2022 में इस समूह की संख्या मामूली रूप से 1,007 से बढ़कर 1,013 हुई, लेकिन उनकी कुल संपत्ति बढ़कर ₹100 लाख करोड़ हो गई। दुनिया महँगाई, ब्याज दरों में वृद्धि और राजनीतिक झटकों से जूझ रही थी, जबकि अति अमीर वर्ग ने भारी मुनाफा कमाया। फिर 2023 आया, और स्थिति तेजी से बदली। एक ही वर्ष में 300 नए लोग इस ₹1000 करोड़ क्लब में शामिल हुए और उनकी कुल संपत्ति बढ़कर ₹109 लाख करोड़ हो गई।

- 2024: 1,539 लोग — ₹159 लाख करोड़
- 2025: 1,688 लोग — ₹167 लाख करोड़

केवल पिछले दो वर्षों में ही संपत्ति में जितनी वृद्धि हुई, उतनी 2019 से 2022 के पूरे कालखंड में नहीं हुई थी।

ये दोनों ग्राफ मिलकर चुपचाप यह बताते हैं कि इस क्लब में लोगों की संख्या बढ़ रही है, यह सच है। लेकिन उनकी कुल संपत्ति उससे भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो लोग पहले से इस क्लब में हैं, वे बाकी लोगों से और भी आगे निकलते जा रहे हैं, भले ही नए लोग भी जुड़ रहे हों। निचले तबके की स्थिति में थोड़ा ही सुधार हुआ है, लेकिन अमीरों की संपत्ति बढ़ने की कोई सीमा ही नहीं रह गई है जिससे असमानता लगातार बढ़ती जा रही है।

अगर हम 6–7% सालाना महंगाई को भी मान लें, तो आज ₹1,000 करोड़ की सीमा बढ़कर लगभग ₹1,400–₹1,500 करोड़ हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं है। सच्चाई यह है कि बहुत अमीर लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जो भारत में अत्यधिक संपत्ति के तेज़ विस्तार को दिखाती है।

हुरुन रिच लिस्ट के अनुसार, भारत में 1,688 लोगों के पास ₹1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा संपत्ति है, और इनकी कुल संपत्ति लगभग ₹166 लाख करोड़ है।

सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में बहुत तेज़ बढ़ोतरी: भारत के टॉप 100 सबसे अमीर लोग 2019–2025

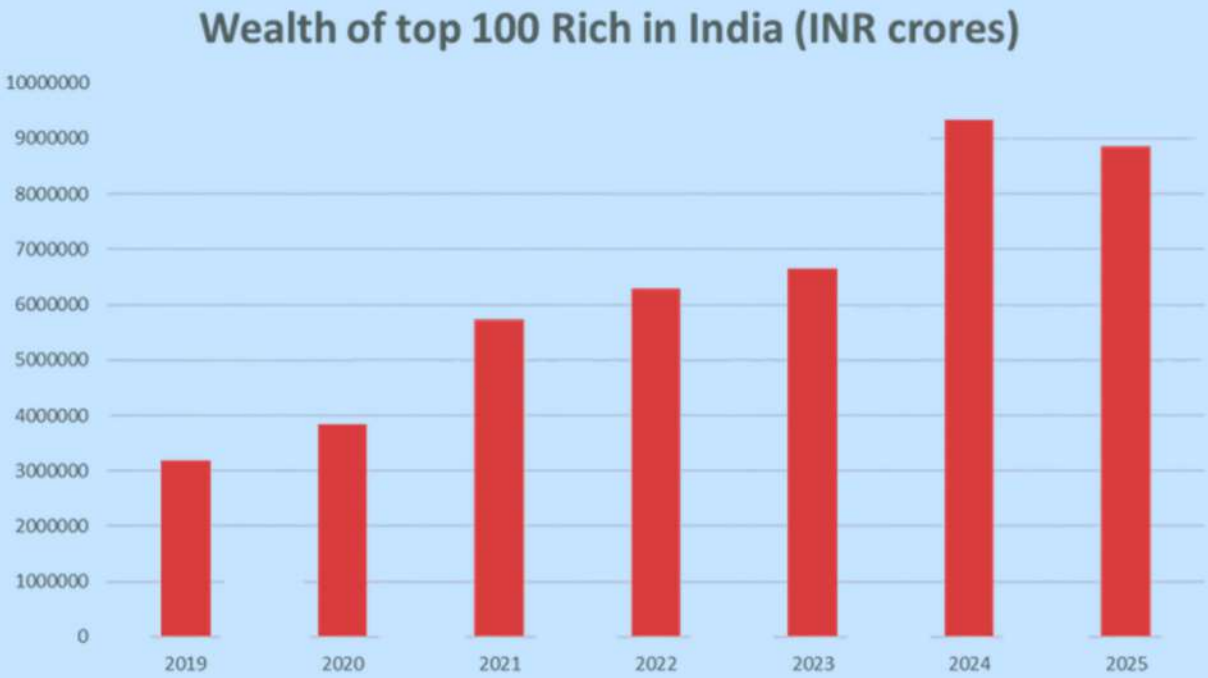

2019 से 2025 के बीच भारत के सबसे अमीर 100 लोगों की कुल संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी।

2019 में इनकी कुल संपत्ति लगभग ₹31 लाख करोड़ थी।

2024 तक यह बढ़कर ₹93 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई।

यानी लगभग 200% की बड़ी बढ़ोतरी।

2025 में थोड़ी कमी के बाद भी यह लगभग ₹88 लाख करोड़ के आसपास बनी रही।

इसका मतलब है:

- सिर्फ पाँच साल में टॉप 100 अमीर लोगों ने इतनी संपत्ति जमा कर ली, जो कई केंद्रीय बजटों के बराबर है।
- जहाँ लाखों लोगों को नौकरी की असुरक्षा और महंगाई का सामना करना पड़ा, वहीं अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ती गई।

यह सिर्फ विकास नहीं है, बल्कि संपत्ति का बहुत ज़्यादा कुछ ही लोगों के हाथों में जमा होना है।

टॉप 10 सबसे अमीर भारतीय 2019-25

अगर हम और ऊपर जाते हैं, तो यह खाई और भी बड़ी दिखाई देती है। इतनी ऊँचाई से देखने पर लगता है जैसे दूसरा भारत किसी अलग ही दुनिया में हो। नीचे दी गई तालिका 2019 से 2025 के बीच देश के सबसे बड़े अरबपतियों की संपत्ति को दिखाती है, जिसे लाख करोड़ रुपये में बताया गया है ताकि इसके पैमाने को समझा जा सके। सबसे ध्यान देने वाली बात सिर्फ उनकी संपत्ति की कुल मात्रा नहीं है, बल्कि उसके बढ़ने की तेज़ रफ्तार है। गौतम अडानी की संपत्ति 7.3 गुना बढ़ी। सावित्री जिंदल की संपत्ति 8.6 गुना बढ़ी। सुनील मित्तल की संपत्ति 5.6 गुना बढ़ी। यह वही समय है जब मज़दूरी लगभग स्थिर रही। हाल ही में सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी कहा कि जहाँ कंपनियों के मुनाफे बहुत बढ़े हैं, वहीं उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ उस मुनाफे को साझा नहीं किया है, और नीचे के स्तर पर मजदूरी लगभग जमी हुई है।

नाम	2019 Wealth (₹ lakh crore)	2025 Wealth (₹ lakh crore)	Increase (× times)
मुकेश अंबानी	3.62	9.15	2.5
गौतम अडानी और परिवार	1.11	8.02	7.3
सावित्री जिंदल और परिवार	0.41	3.5	8.6
सुनील मित्तल और परिवार	0.54	2.98	5.6
शिव नादर	1.01	2.89	2.9
राधाकिशन दमानी और परिवार	1.01	2.46	2.4
दिलीप शांघवी और परिवार	0.53	2.29	4.3
बजाज परिवार	0.65	1.9	2.9
साइरस पूनावाला	0.64	1.87	2.9
कुमार बिड़ला	0.68	1.8	2.7

"भारत में नव-उदारवादी दौर में अमीर लोगों पर टैक्स का बोझ काफी कम कर दिया गया है। इससे पूँजीपतियों द्वारा निवेश बढ़ने के साथ-साथ उनकी संपत्ति भी बढ़ी है। यही बात देश में बढ़ती हुई संपत्ति असमानता की मुख्य वजह है।"
— प्रभात पटनायक

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नीचे दिए गए ग्राफ में दिख रही बहुत अमीर लोगों की संपत्ति में तेज़ बढ़ोतरी उसी समय के दौरान हुई है, जब सरकार की नीतियाँ और फैसले खुले तौर पर सबसे अमीर वर्ग के पक्ष में रहे हैं। इनमें कंपनियों को टैक्स में छूट देना, सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में देना, और टेलीकॉम, शिपिंग, एयरपोर्ट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे अहम क्षेत्रों में कुछ ही कंपनियों का दबदबा बनने देना शामिल है। इसके साथ ही पर्यावरण और श्रम कानूनों को कमजोर किया गया।
लाखों करोड़ रुपये के कर्ज़ माफ किए गए और नियमों की निगरानी व्यवस्था को भी कमज़ोर किया गया। इन सभी वर्षों में सरकार और बड़ी कंपनियों के बीच ऐसा तालमेल देखने को मिला है, जो पहले कभी इस स्तर पर नहीं देखा गया।

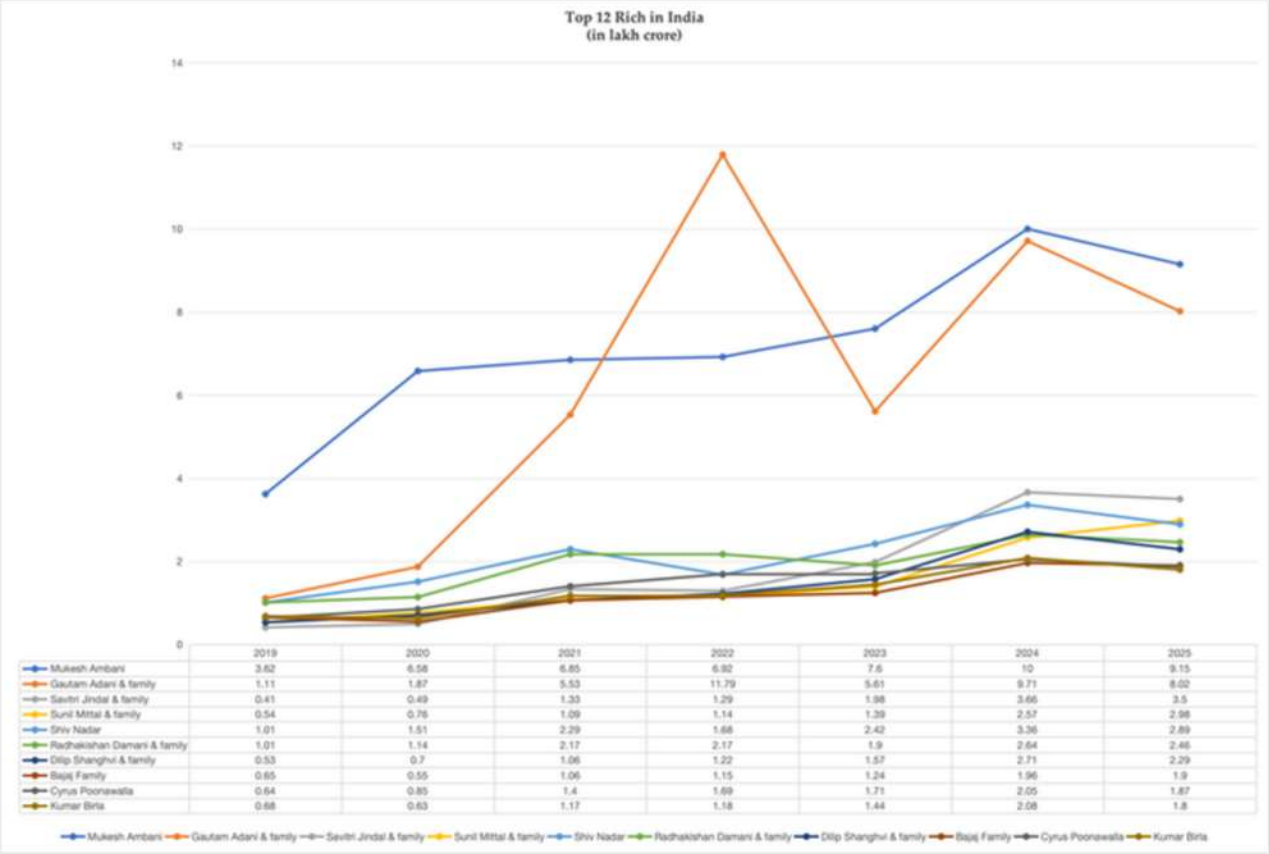

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mukesh Ambani	3.62	6.58	6.85	6.92	7.6	10	9.15
Gautam Adani & family	1.11	1.87	5.53	11.79	5.61	9.71	8.02
Savitri Jindal & family	0.41	0.49	1.33	1.29	1.98	3.66	3.5
Sunil Mittal & family	0.54	0.76	1.09	1.14	1.39	2.57	2.98
Shiv Nadar	1.01	1.51	2.29	1.68	2.42	3.36	2.89
Radhakishan Damani & family	1.01	1.14	2.17	2.17	1.9	2.64	2.46
Dilip Shanghvi & family	0.53	0.7	1.06	1.22	1.57	2.71	2.29
Bajaj Family	0.65	0.55	1.06	1.15	1.24	1.96	1.9
Cyrus Poonawalla	0.64	0.85	1.4	1.69	1.71	2.05	1.87
Kumar Birla	0.68	0.63	1.17	1.18	1.44	2.08	1.8

Mukesh Ambani — Gautam Adani & family — Savitri Jindal & family — Sunil Mittal & family — Shiv Nadar — Radhakishan Damani & family — Dilip Shanghvi & family — Bajaj Family — Cyrus Poonawalla — Kumar Birla

"हम संविधान के आदर्शों और भगत सिंह तथा डॉ. आंबेडकर के सपनों से बहुत दूर आ गए हैं, जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो समान और न्यायपूर्ण हो..."
— निखिल डे

भारत के टॉप 5 अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोत्तरी

2019-25

पिछले छह वर्षों में भारत के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम देश के टॉप 5 अरबपतियों को देखें, तो 2019 से 2025 के बीच उनकी कुल संपत्ति में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाती है कि अर्थव्यवस्था का ज़्यादातर धन कुछ ही लोगों के पास सिमटता जा रहा है।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब अधिकतर भारतीय कोरोना महामारी, पूरे देश में लॉकडाउन और उसके बाद आर्थिक मंदी जैसी गंभीर मुश्किलों से गुजर रहे थे, तब बहुत कम संख्या में बेहद अमीर लोग इस संकट के दौरान भी और ज़्यादा संपत्ति जमा करते रहे।

2019 में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और परिवार, सावित्री जिंदल और परिवार, सुनील मित्तल और परिवार, तथा शिव नादर की कुल संयुक्त संपत्ति लगभग ₹6,68,150 करोड़ थी। 2025 तक यह बढ़कर लगभग ₹26,54,893 करोड़ हो गई।

पिछले 6 सालों में इसमें करीब ₹19.9 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग चार गुना बढ़ोतरी है।

व्यक्तिगत स्तर पर भी संपत्ति में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। गौतम अडानी और परिवार की संपत्ति लगभग ₹6,91,335 करोड़ बढ़ी। मुकेश अंबानी की संपत्ति इसी अवधि में ₹5,53,294 करोड़ बढ़ी। सावित्री जिंदल और परिवार की संपत्ति ₹3,09,548 करोड़ बढ़ी, सुनील मित्तल और परिवार की ₹2,44,579 करोड़, और शिव नादर की संपत्ति ₹1,87,987 करोड़ बढ़ी।

यह बढ़ोतरी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। अगर इस पर सिर्फ थोड़ा सा वेल्थ टैक्स लगाया जाए, तो उससे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसी ज़रूरी सरकारी योजनाओं के लिए बहुत बड़ा संसाधन जुटाया जा सकता है। इसलिए अरबपतियों की संपत्ति में तेज़ बढ़ोतरी यह दिखाती है कि प्रगतिशील टैक्स से सार्वजनिक सेवाओं के लिए जरूरी फंड आसानी से बनाया जा सकता है।

व्यक्ति	संपत्ति 2019 (₹ लाख करोड़ में)	संपत्ति 2025 (₹ लाख करोड़ में)	संपत्ति में बढ़ोत्तरी (₹ लाख करोड़ में)	संपत्ति में बढ़ोत्तरी (कितने गुना)
मुकेश अंबानी	3.62	9.15	5.53	2.5
गौतम अडानी और परिवार	1.11	8.02	6.91	7.3
सावित्री जिंदल और परिवार	0.41	3.5	3.1	8.6
सुनील मित्तल और परिवार	0.54	2.98	2.45	5.6
शिव नादर	1.01	2.89	1.88	2.9

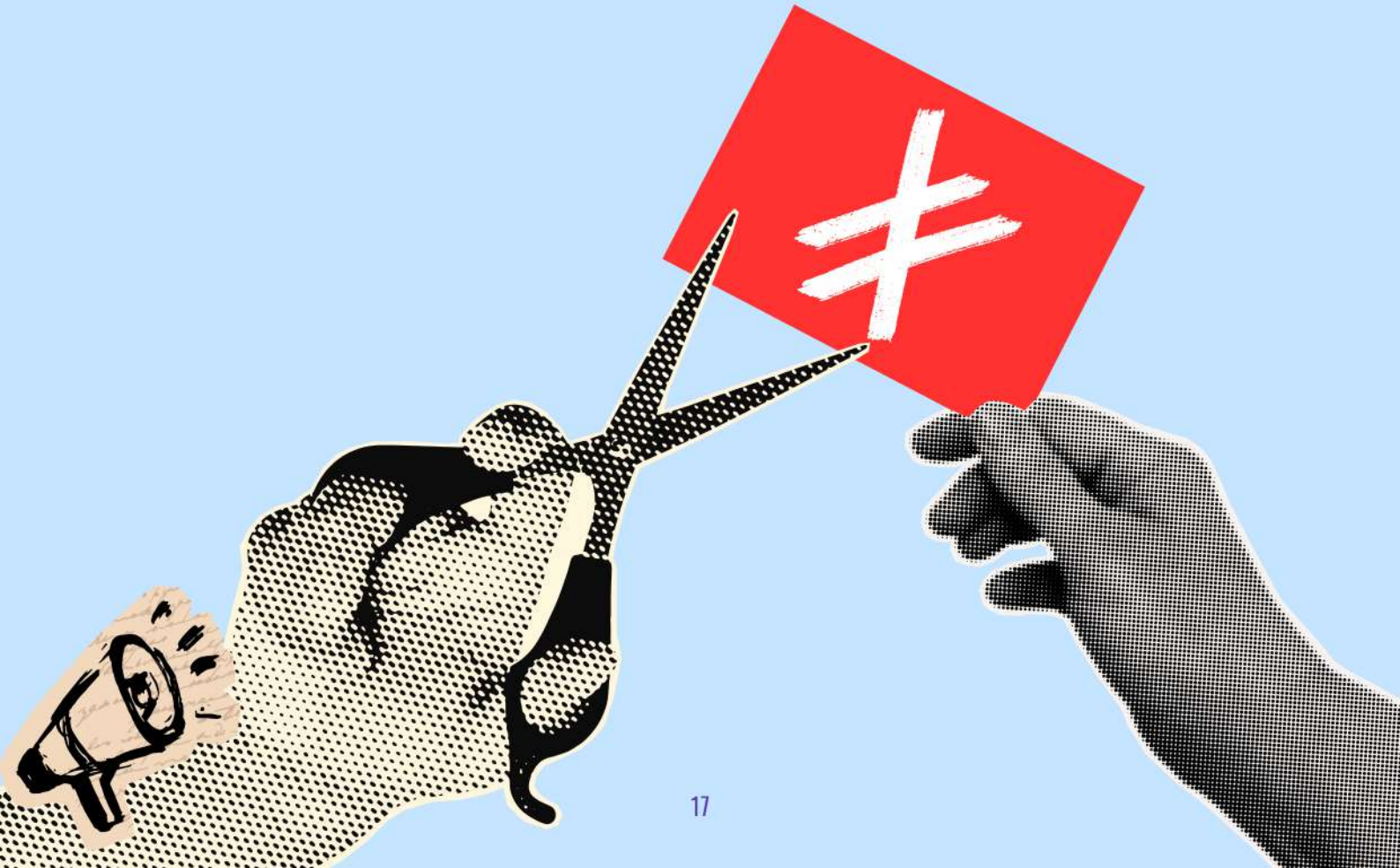

दो आदमी बनाम भारत की जनता 2019-25

ऊपर दिए गए ग्राफ में भी यह साफ दिखता है कि सबसे ऊपर की दो कंपनियाँ/लोग बाकी आठ से बहुत ऊँचे स्तर पर काम कर रहे हैं। 2019 से 2025 के बीच भारत के दो सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति इतनी तेज़ी से बढ़ी है, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई।

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mukesh Ambani	3.62	6.58	6.85	6.92	7.6	10	9.15
Gautam Adani & family	1.11	1.87	5.53	11.79	5.61	9.71	8.02

मुकेश अंबानी

- 2019: ₹3.62 लाख करोड़
- 2025: ₹9.15 लाख करोड़

बढ़त: ₹5.53 लाख करोड़

पिछले 6 वर्षों में *153%* की बढ़त है

गौतम अडानी

- 2019: ₹1.11 लाख करोड़
- 2025: ₹8.02 लाख करोड़

बढ़त: ₹6.91 लाख करोड़

पिछले *6* वर्षों में *625%* की बढ़त है

गैरबराबरी की परतें

अगर हुरुन रिच लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद लोगों के उपनामों को देखा जाए तो यह एक कहानी बताता है। हम पाते हैं कि अग्रवाल और गुप्ता भारत के सबसे अमीर व्यापारिक परिवारों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले दो उपनाम थे, दोनों 12-12 बार, इसके बाद पटेल 10 बार, जैन 9 बार और मेहता, गोयनका तथा शाह 5-5 बार आते हैं। सिंह, राव और दोशी इस सूची में शीर्ष 10 उपनामों को पूरा करते हैं, जिनके 4-4 परिवार भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं, रिपोर्ट के अनुसार। [मनीकंट्रोल, सितंबर 2025]

एक "वेल्थ एडवाइज़र" कहता है कि यह जानकारी उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो धन बना रहे हैं और अल्ट्रा हाई नेट वर्थ (बेहद अमीर) व्यक्तियों को सेवाएँ दे रहे हैं। एक मुख्यधारा का अखबार कहता है कि ऐसी जानकारी यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि धन और प्रभाव कैसे साझा और बनाए रखे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि "भारत के अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ वर्ग में काम करने वाले पेशेवरों और उद्यमियों के लिए, सामान्य उपनामों को जानना विश्वास, नेटवर्किंग और साझेदारी के पैटर्न को समझने में मदद कर सकता है।

लेकिन दोनों—अखबार और वेल्थ एडवाइज़र जिस बात को उजागर नहीं करते, वह यह है कि यह बहुत स्पष्ट रूप से ऊँची जातियों के दबदबे को दिखाता है। इसलिए जब हम भारत के सबसे अमीर लोगों की बात करते हैं, तो हमें उन उत्पीड़ित जातियों की अनुपस्थिति की भी बात करनी चाहिए जो ऐसी सूचियों जैसे हुरुन या फोर्ब्स में दिखाई नहीं देतीं।

फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची (जिसमें जाति को उपनाम के आधार पर जोड़ा गया) पर काम करते हुए वर्ल्ड इनक्वॉलिटी लैब रिपोर्ट ने पाया कि 2022-23 में भारत की लगभग 90% अरबपति संपत्ति केवल ऊँची जातियों के पास थी। अनुसूचित जनजातियों की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी। ओबीसी के पास सिर्फ 10% से कम संपत्ति थी, और अनुसूचित जातियों के पास बहुत ही कम, यानी 2.6% संपत्ति थी। यानी भारत का अरबपति वर्ग असल में ऊँची जातियों का एक छोटा समूह है।

पिछले कुछ साल में इसमें इज़ाफा हुआ है। वर्ल्ड इनक्वॉलिटी लैब रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार के समय (2014 से 2022 के बीच) ओबीसी की अरबपति संपत्ति की हिस्सेदारी आधी हो गई—जो पहले 20% थी, वह घटकर 10% से भी कम रह गई। जबकि ऊँची जातियों की हिस्सेदारी 80% से बढ़कर 90% हो गई। यानी जैसे-जैसे सबसे अमीर लोग और अमीर हुए, वैसे-वैसे फायदा उन्हीं को सबसे ज्यादा मिला जो पहले से ही ज्यादा मजबूत स्थिति में थे।

अखिल भारतीय कर्ज़ और निवेश सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, सवर्ण जातियाँ, जो भारत की आबादी का सिर्फ एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा हैं, वह देश की कुल संपत्ति का लगभग 55% हिस्सा रखती हैं। ये एकमात्र जाति समूह है जिनकी संपत्ति का हिस्सा उनकी जनसंख्या हिस्से से ज्यादा है। दूसरी तरफ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति उनकी जनसंख्या के हिस्से से आधे से भी कम है। अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या हैं, उनके पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 35% है जो उनकी आबादी के हिसाब से जितना होना चाहिए, उससे काफी कम है।

इसलिए, ऊपर जो असमानता दिखाई देती है, वह असल में उसी बड़े फर्क का नतीजा है जो सदियों से समाज में जाति व्यवस्था के कारण बना हुआ है।

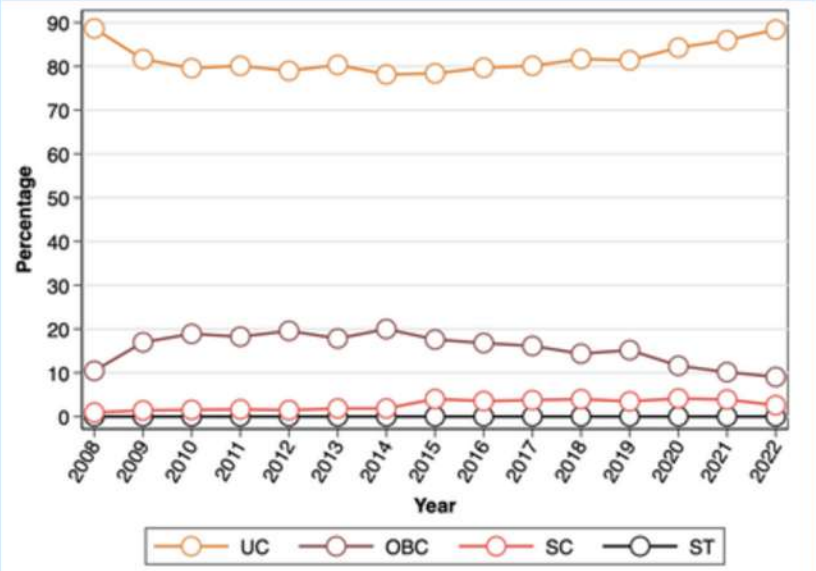

Note: (1) UC – Upper Caste; OBC – Other Backward Classes; SC – Scheduled Castes; ST – Scheduled Tribes. (2) While Forbes billionaire rankings are available since 1988, they covered too few individuals prior to 2008 to be used meaningfully for the purpose of allocating billionaire wealth across castes.

Sources: Authors' estimates from caste-coding the Forbes billionaire lists.

भारत में न्यायिक टैक्स और संपत्ति के पुनर्वितरण की ओर
नवीनतम असमानता आकलन *(वर्ल्ड इनक्वॉलिटी लैब, मई 2024)* पर आधारित प्रस्ताव

अति अमीर लोगों पर संपत्ति टैक्स (वेल्थ टैक्स) क्यों है ज़रुरी?

जब युद्ध, ऊर्जा संकट और टैक्स (टैरिफ) से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, और गरीब लोग फिर से लाइन में खड़े हैं, कभी गैस के लिए, तो कभी शहर छोड़कर गाँव जाने के लिए। ऐसे समय में सरकार ने पिछले बजट में लोगों से बस सब कुछ सहन कर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी तुरंत कोई राहत या मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुश्किल समय को सहन करना लोगों का कर्तव्य है। इसी दौरान, बेहद अमीर लोग पहले से भी ज्यादा तेजी से पैसा कमा रहे हैं, जैसा आज़ादी के बाद शायद ही कभी हुआ हो। ऐसे में सवाल उठता है कि अति अमीर लोगों पर टैक्स (संपत्ति टैक्स) लगाने की बात हमारे नीति बनाने वालों के दिमाग में क्यों नहीं आती?

पहले, हमारे देश में संपत्ति को बराबर बाँटने की कुछ सोच थी, जैसे भूदान आंदोलन, ज़मींदारी खत्म करना, जमीन की सीमा तय करने के कानून और राष्ट्रीयकरण। हमारे संविधान के निति निर्देशक तत्व भी कहते हैं कि सरकार को संपत्ति के एक जगह इकट्ठा होने के खिलाफ काम करना चाहिए। लेकिन उदारीकरण के बाद हमने "लालच अच्छा है" जैसी सोच अपना ली और यह मान लिया कि ऊपर अमीर होने से नीचे तक फायदा पहुँच जाएगा। एक प्रोफेसर के अनुसार, 1969 में कुल कमाई का 65% मजदूरी में जाता था और 35% मुनाफे में, लेकिन 1990 के बाद यह लगभग उल्टा हो गया।

फिर 2016 में जो थोड़ा-बहुत संपत्ति टैक्स था, उसे भी हटा दिया गया। आज हालत यह है कि बड़ी कंपनियाँ आम लोगों से भी कम टैक्स देती हैं। दुख की बात यह है कि "विकसित भारत" के नाम पर अब बराबरी की सोच कम हो गई है और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करने और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही सोच अमीरों को टैक्स में छूट देने, कंपनियों के कर्ज माफ करने और गलत तरीकों को बढ़ावा देती है।

"मुनाफा ही सरकार और उनके साझेदार पूंजीपतियों के लिए सब कुछ बन गया है। वे लोगों और प्रकृति से ज़्यादा मुनाफ़े को प्राथमिकता देते हैं। इस कारण से असमानता और विषमता बढ़ी है। इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़रुरी कदम में से एक है कि हम अपनी टैक्स व्यवस्था में बदलाव करें। हमारे देश के बेहद कम नागरिक, जिनकी संख्या 1% से भी कम है उन पर अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए।" — मेधा पाटकर

जब भी हम स्वास्थ्य, रोज़गार, शिक्षा या उदाहरण के लिए ईंधन की कीमतें कम करने जैसे सार्वभौमिक अधिकारों की मांग करते हैं, तो हमें अक्सर यह सुनने को मिलता है कि हमारी मांगें "अवास्तविक", "काल्पनिक" और "अव्यावहारिक" हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लक्ष्य हमारे बहुत करीब हैं, बस शर्त यह है कि हम एक न्यायसंगत टैक्स व्यवस्था अपनाने को तैयार हों। दुर्भाग्य से, आज भी हमारे राजस्व का बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष टैक्स से आता है। ऐसे समान दर वाले टैक्स, जैसे वैट/जीएसटी, व्यवहार में प्रतिगामी होते हैं, क्योंकि ये गरीबों की आय का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, जबकि अमीरों और अति अमीर वर्ग पर अपेक्षाकृत कम बोझ डालते हैं। इसके विपरीत, प्रगतिशील टैक्स प्रणाली वह होती है जिसमें टैक्स की दर आय या संपत्ति बढ़ने के साथ बढ़ती है, और यह "भुगतान करने की क्षमता" के सिद्धांत पर आधारित होती है। जब धनी वर्ग को उनका उचित टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, तो सरकार के पास गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में निवेश के लिए कम संसाधन रह जाते हैं। इसका खामियाज़ा गरीबों, हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को भुगतना पड़ता है।

अर्थशास्त्री लंबे समय से प्रगतिशील संपत्ति टैक्स (वेल्थ टैक्स) की वकालत करते रहे हैं, क्योंकि इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग सरकार स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन आदि जैसे सार्वभौमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में कर सकती है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का एक सशक्त ढांचा तैयार होता है। उदाहरण के लिए, प्रभात पटनायक और जयति घोष ने तर्क दिया है कि बढ़ा हुआ सार्वजनिक खर्च निवेश को हतोत्साहित नहीं करता, बल्कि नीचे से अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। वहीं थॉमस पिकेट्टी ने दिखाया है कि अमेरिका और यूरोप में सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि तब हुई जब टैक्स दरें अपने उच्चतम स्तर पर थीं (1940 से 1980 के बीच)। इसके विपरीत, टैक्स में कटौती के साथ विकास दर में गिरावट आई है और संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ा है। यहां तक कि संपत्ति पर एक न्यूनतम टैक्स दर भी सरकार को इतना राजस्व दे सकती है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी आय आदि पर अधिक खर्च कर सके। इससे करोड़ों नागरिकों की आय सृजन क्षमता बढ़ेगी और "नीचे से ऊपर" विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

"असमानता बहुआयामी होती है: कम आय वाले लोग अधिकतर गरीब इलाकों में रहते हैं, वे अधिकतर महिलाएं या लड़कियां, सामाजिक रूप से भेदभाव झेलने वाली जातियों और समुदायों से आते हैं, और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए, उनके लिए नीतियों को प्रभावित कर पाना और भी कठिन हो जाता है।"

— जयति घोष

संभावनाएं

अति अमीर वर्ग पर टैक्स लगाना

2% संपत्ति टैक्स से क्या किया जा सकता है?

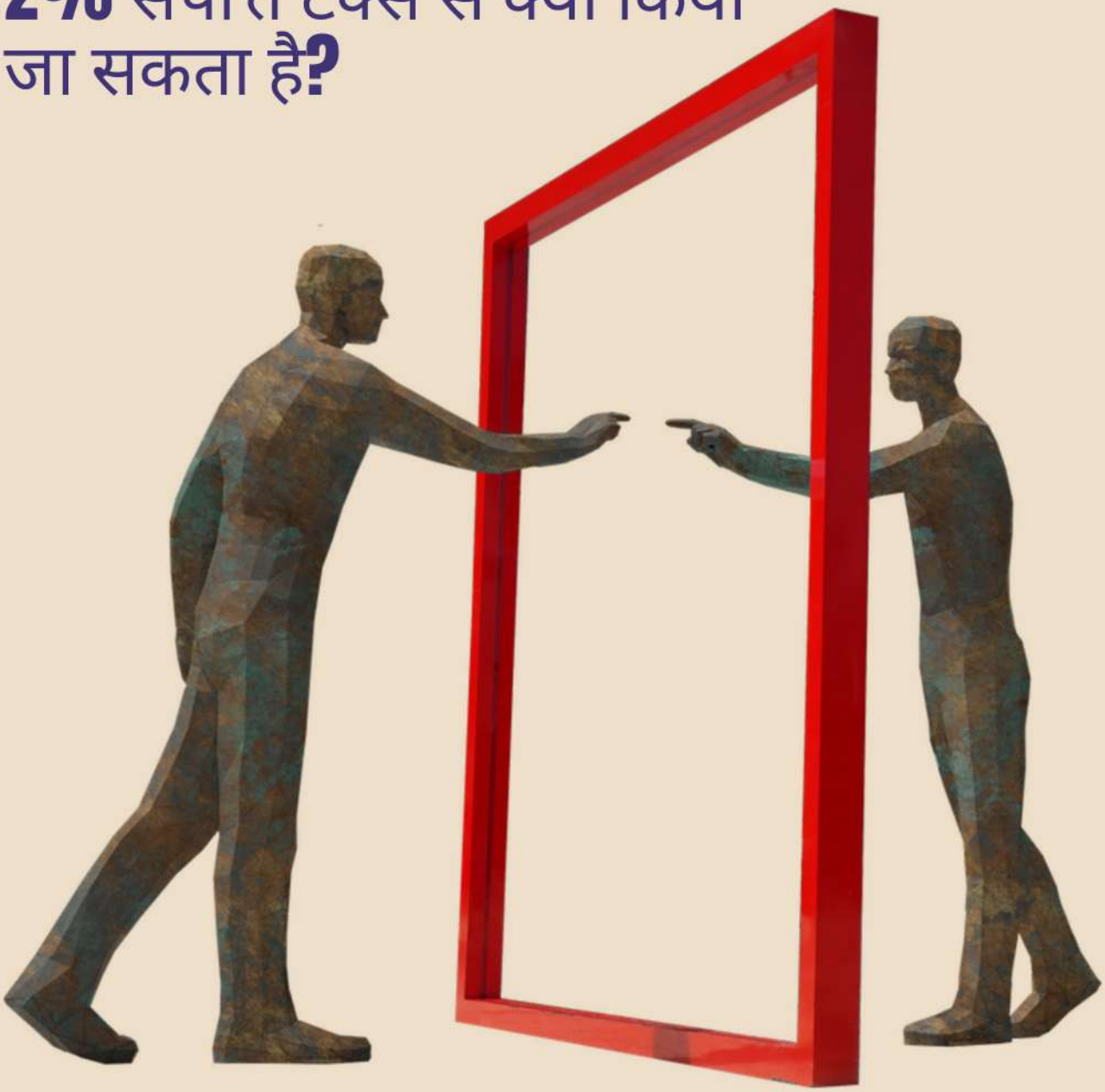

मुकेश अंबानी

मुकेश अंबानी की संपत्ति 2019 से 2025 के बीच ₹5.53 लाख करोड़ बढ़ गई।

प्रत्येक वर्ष 2% संपत्ति टैक्स वसूले जाने से ₹1,01,427 करोड़ जुटाए जा सकते हैं।

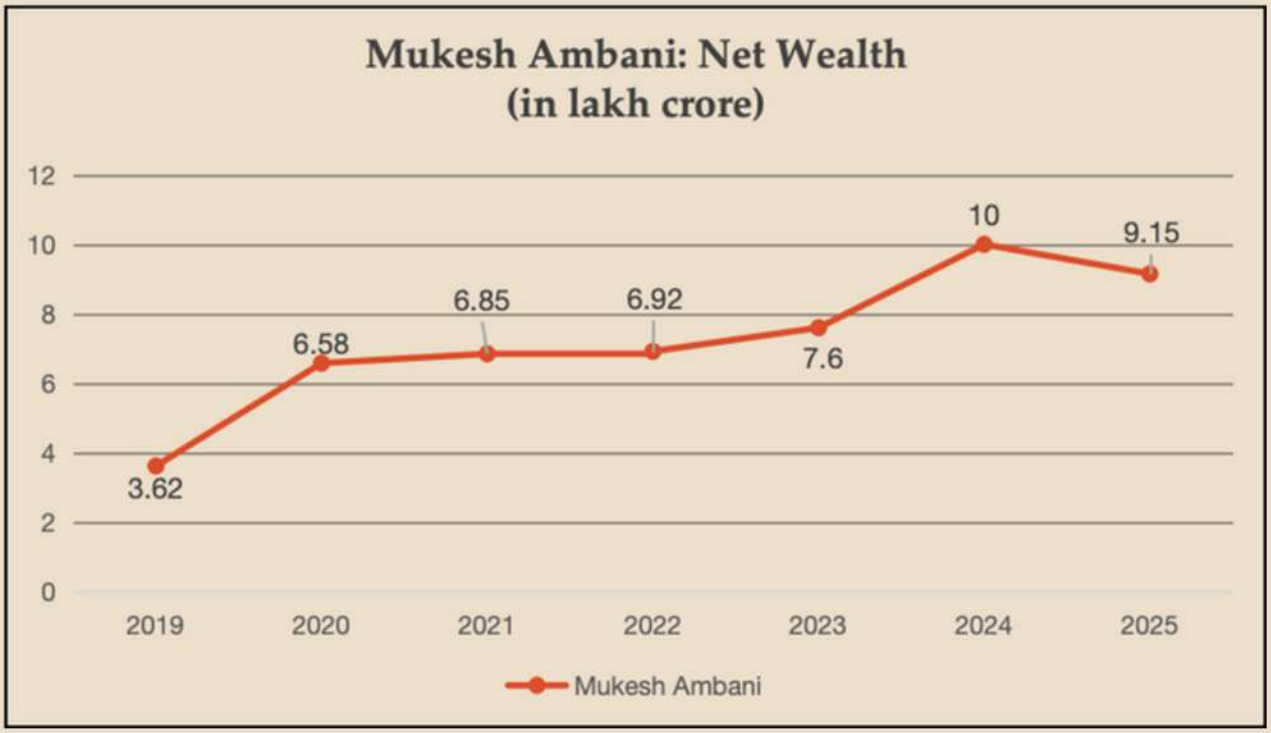

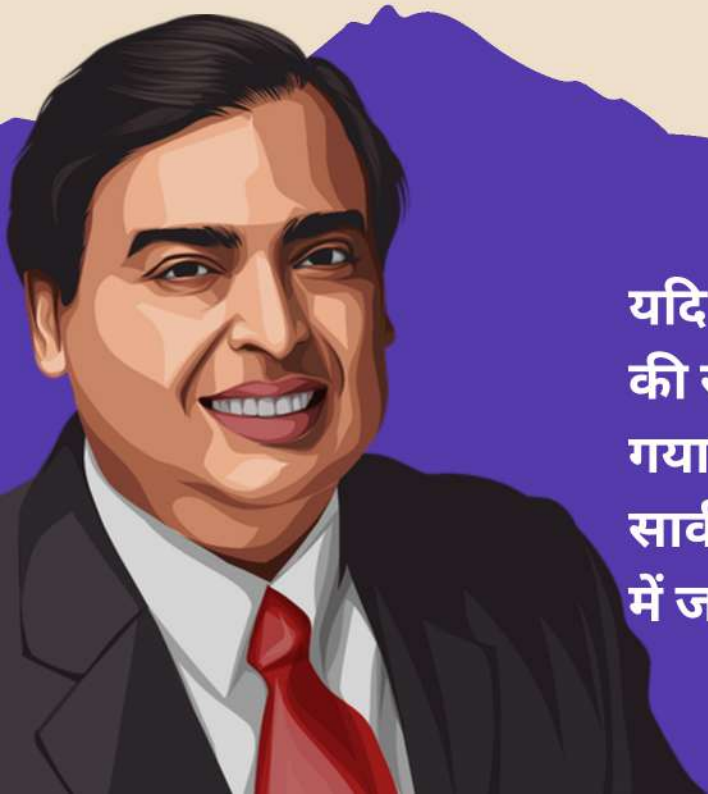

यदि पिछले सात वर्षों में मुकेश अंबानी की संपत्ति पर 2% संपत्ति टैक्स वसूला गया होता, तो ₹1,01,427 करोड़ सार्वजनिक खजाने (सरकारी राजकोष) में जा सकते थे।

सिर्फ इस राशि से ही निम्नलिखित का खर्च उठाया जा सकता था:

छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप

₹20,000 प्रति डिवाइस की लागत पर लगभग 1.85 करोड़ कक्षा 10 के छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराने में करीब ₹37,000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसका मतलब है कि इस कर राजस्व से सभी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराने के लगभग तीन चरणों (चक्रों) को वित्तपोषित किया जा सकता है।

देश के सभी ज़िला सरकारी अस्पतालों का रखरखाव

759 ज़िला सरकारी अस्पतालों को चलाने में ₹24,288 करोड़ का वार्षिक खर्च आता है, जिसका अर्थ है कि यह राशि देशभर में जिला अस्पतालों के संचालन का चार वर्षों से अधिक समय तक का खर्च उठाया जा सकता है।

थाली में अंडा हर दिन

लगभग ₹1,060 करोड़ के वार्षिक खर्च के साथ, यह राजस्व भारत में मिड-डे मील कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी केंद्रों में हर दिन अंडे उपलब्ध कराने के लिए 95 वर्षों से अधिक समय तक का खर्च उठाया जा सकता है।

सरकारी स्कूलों को उन्नत करना

₹1 करोड़ प्रति स्कूल की लागत पर, ₹1,01,427 करोड़ के राजस्व से 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जा सकता है।

सभी के लिए इलेक्ट्रिक बस

₹1 करोड़ प्रति बस की कीमत पर, 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा सकती हैं।

सभी को मातृत्व अधिकार

2.85 करोड़ महिलाओं को ₹18,000 प्रदान करने में लगभग ₹51,300 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा, जिसका अर्थ है कि यह राशि लगभग दो वर्षों तक सार्वभौमिक मातृत्व अधिकारों का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त हो सकती है।

गौतम अडानी और परिवार

वर्ष 2019 से 2025 तक गौतम अडानी की संपत्ति में ₹6.91 लाख करोड़ रुपए का उछाल हुआ है।

प्रत्येक वर्ष 2% संपत्ति टैक्स से ₹87,268 करोड़ एकत्रित किए जा सकते हैं।

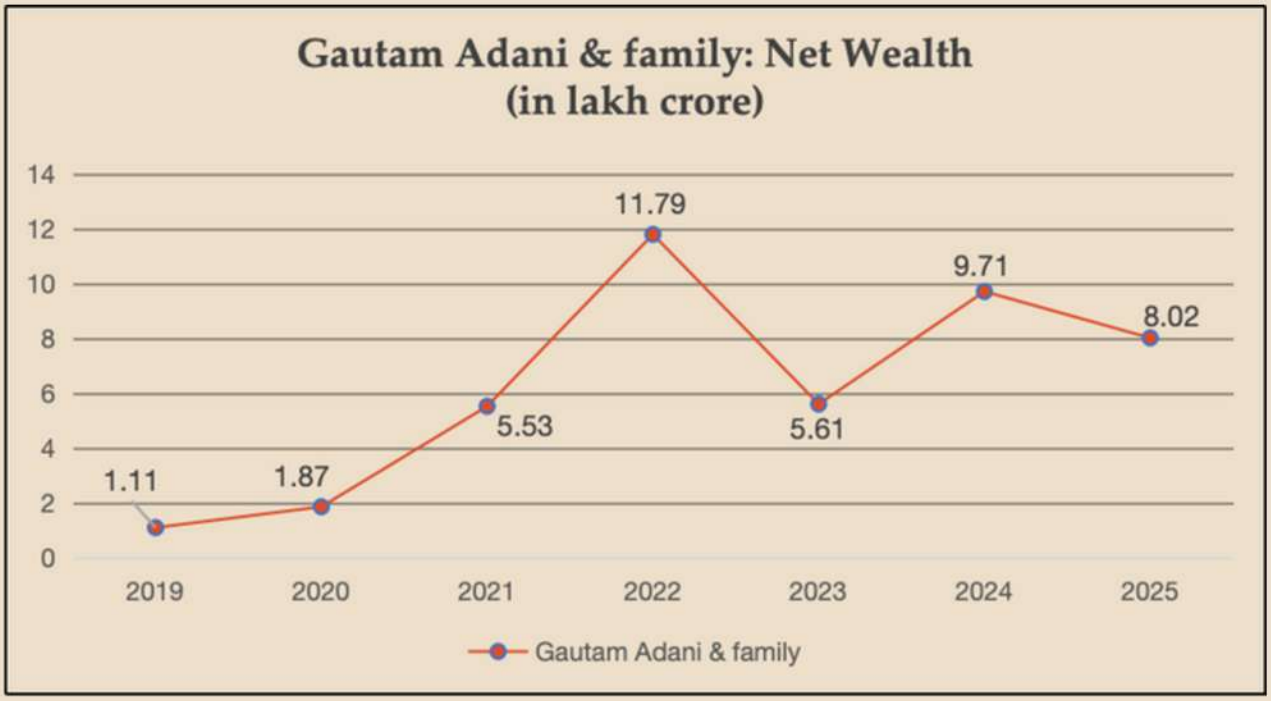

वर्ष 2019 से 2025 के बीच गौतम अडानी की संपत्ति पर टैक्स लगाया गया होता तो ₹87,268 करोड़ उत्पन्न हो सकते थे।

सिर्फ इस राशि से ही निम्नलिखित का खर्च उठाया जा सकता था:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

₹39,390 करोड़ के वार्षिक आवंटन के साथ, यह पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को दो वर्षों से अधिक समय तक का खर्च उठाया जा सकता है।

ग्रामीण सड़क (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)

₹1 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत पर, ₹87,268 करोड़ से 87,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जा सकती हैं।

आंगनबाड़ी उन्नत करना

₹10 लाख प्रति केंद्र की लागत पर, 8.7 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जा सकता है।

सभी के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (उज्ज्वला योजना)

लगभग 1,000 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से 87 लाख से अधिक रसोई गैस सिलेंडर का खर्च उठाया जा सकता है।

जन औषधि योजना; सभी को दवाइयों की सुलभ व्यवस्था

₹353 करोड़ के वार्षिक व्यय के साथ, किफायती दवाओं की आपूर्ति का 240 वर्षों से अधिक समय तक का खर्च उठाया जा सकता है।

स्वास्थ्य सम्बंधित बुनियादी ढांचों का रखरखाव

₹7,350 करोड़ के वार्षिक खर्च के साथ, यह लगभग 12 वर्षों तक इन सुविधाओं का संचालन बनाए रख सकता है।

सस्ती आवास योजना (सभी को मिले घर)

1. प्रति घर ₹5 लाख की लागत के अनुसार, देश भर में 17 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा सकता है।

सावित्री जिंदल और परिवार

वर्ष 2019 से 2025 तक जिंदल की संपत्ति में ₹3.09 लाख करोड़ की वृद्धि हुई।

प्रति वर्ष यदि 2% संपत्ति टैक्स संग्रह हो तो इतना धन इकठ्ठा हो सकता है: ₹25,320 करोड़

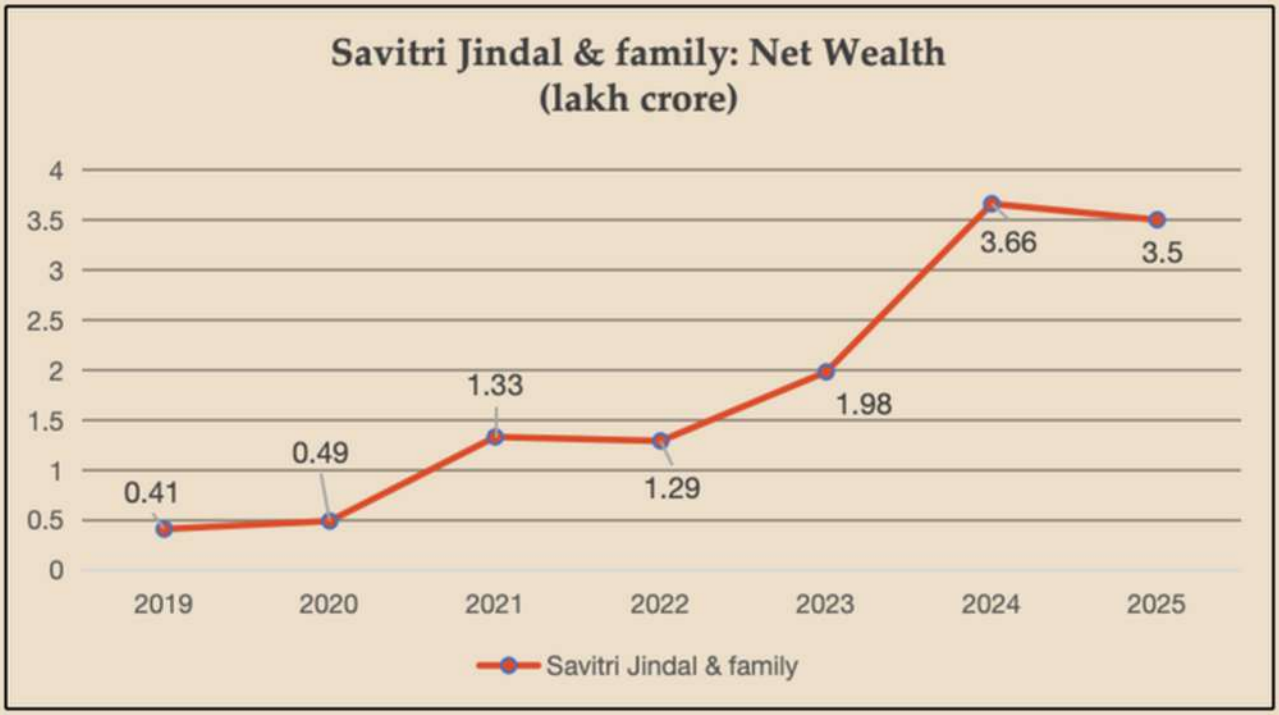

सावित्री जिंदल की संपत्ति पर एक मामूली वेल्थ टैक्स से ₹25,320 करोड़ उत्पन्न हो सकते थे।

सिर्फ इस राशि से ही निम्नलिखित का खर्च उठाया जा सकता था:

एयर प्यूरीफायर; सभी के लिए स्वच्छ हवा का अधिकार

प्रति यूनिट ₹10,000 की लागत से, यह 2.5 करोड़ से अधिक एयर प्यूरीफायर उपलब्ध करा सकता है।

अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति

₹2,762 करोड़ वार्षिक खर्च से, यह 9 वर्षों से अधिक समय तक छात्रवृत्तियों को वित्तपोषित कर सकता है।

अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति

₹1,781 करोड़ वार्षिक खर्च से, यह 14 वर्षों से अधिक समय तक छात्रवृत्तियों को वित्तपोषित कर सकता है।

डिजिटल कक्षाएं

प्रति कक्षा ₹5 लाख की लागत से, यह 5 लाख से अधिक स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना कर सकता है।

छात्रावास

प्रति छात्रावास ₹5 करोड़ की लागत से, यह लगभग 5,000 छात्रावास बना सकता है।

पोषण किट- सभी को मिले पोषण का अधिकार

प्रति किट ₹1,000 की लागत से, यह 25 करोड़ से अधिक पोषण किट वितरित कर सकता है।

बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन

प्रति छात्रा ₹10,000 की सहायता से, यह 2.5 करोड़ से अधिक बालिकाओं को समर्थन दे सकता है।

सुनील मित्तल और परिवार

सुनील मित्तल और परिवार की संपत्ति में ₹2.44 लाख करोड़ की वृद्धि हुई।

प्रति वर्ष यदि 2% संपत्ति टैक्स संग्रह हो तो इतना धन इकठ्ठा हो सकता है: ₹20,925 करोड़

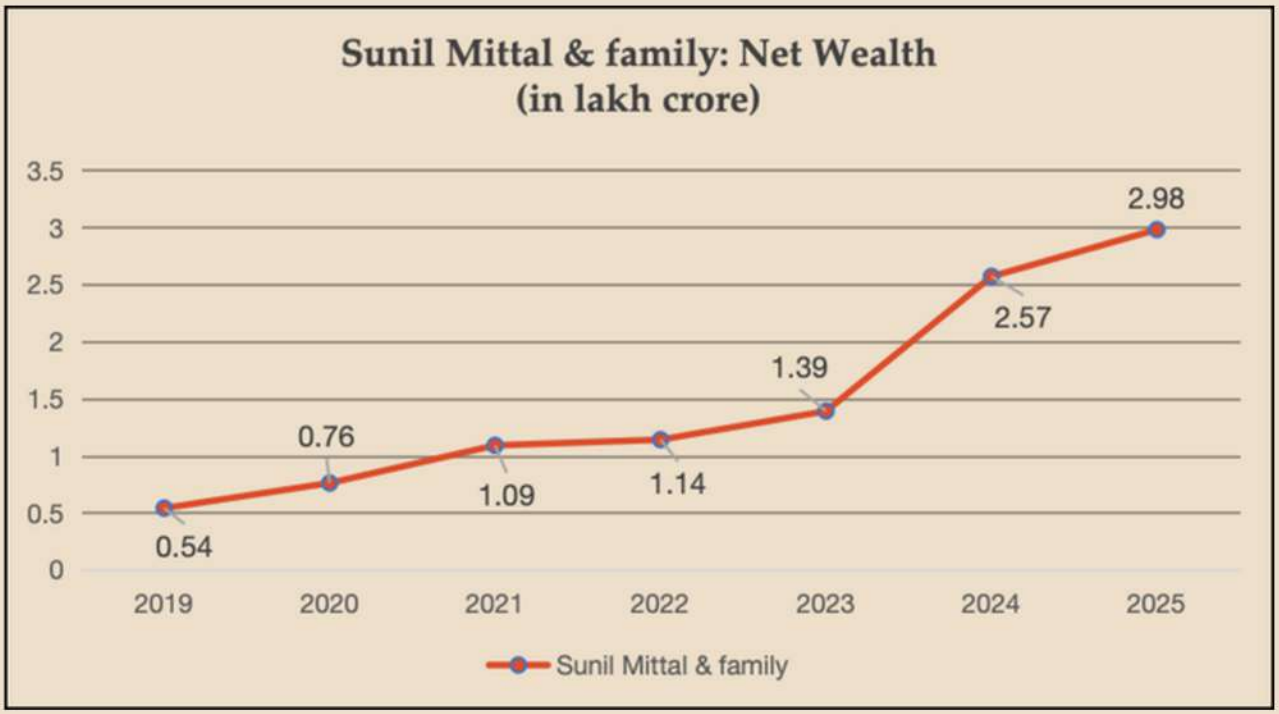

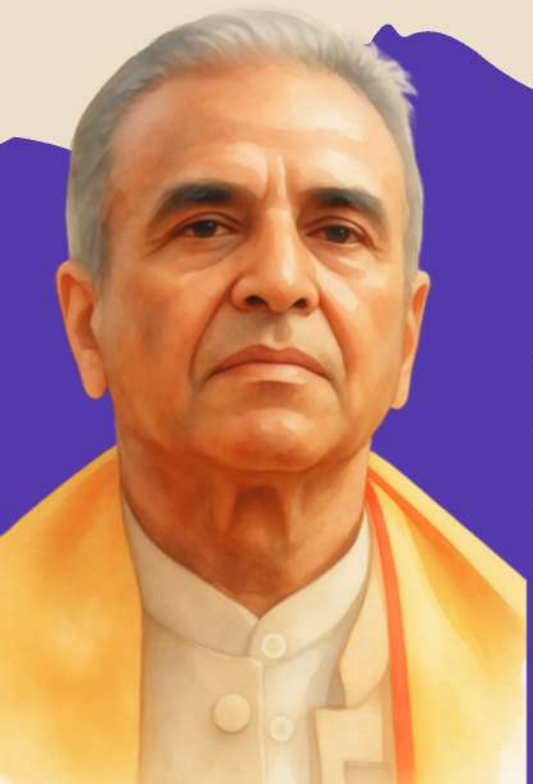

सुनील मित्तल की संपत्ति पर टैक्स से ₹20,925 करोड़ उत्पन्न हो सकते थे।

सिर्फ इस राशि से ही निम्नलिखित का खर्च उठाया जा सकता था:

आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे

₹450 करोड़ वार्षिक खर्च से, यह 46 वर्षों से अधिक समय तक पोषण पूरकता के लिए वित्तीय व्यवस्था कर सकता है।

मिड-डे मील में अंडे

₹610 करोड़ वार्षिक खर्च से, यह लगभग 34 वर्षों तक प्रोटीन पूरकता के लिए वित्तीय व्यवस्था कर सकता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ₹2 करोड़ की लागत से बनने के अनुसार, यह धन 10,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना सकता है।

स्कूल से जुड़ी सामग्री

प्रति छात्र ₹2,000 के खर्च अनुसार, यह 10 करोड़ से अधिक छात्रों को सहायता प्रदान कर सकता है

शहरी सार्वजनिक शौचालय

प्रति यूनिट ₹5 लाख की लागत से, यह 4 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण कर सकता है।

मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक

प्रति यूनिट ₹50 लाख की लागत से, यह 40,000 से अधिक मोबाइल क्लिनिक तैनात कर सकता है।

कौशल विकास

प्रति प्रशिक्षु ₹20,000 की लागत से, यह 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर सकता है।

शिव नादर

शिव नादर की संपत्ति 2019 से 2025 के बीच ₹1.87 लाख करोड़ बढ़ गई।

प्रति वर्ष यदि 2% संपत्ति टैक्स संग्रह हो तो इतना धन इकठ्ठा हो सकता है: ₹30,355 करोड़

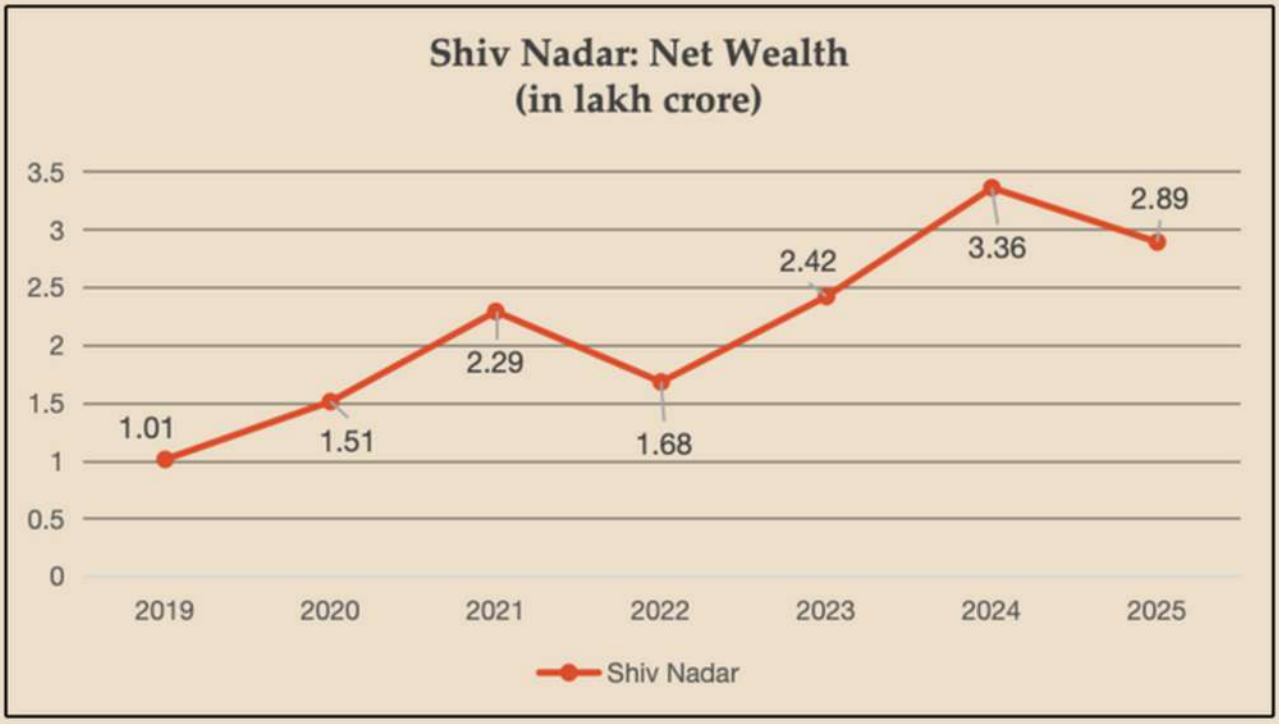

शिव नादर की संपत्ति पर टैक्स से ₹30,355 करोड़ उत्पन्न हो सकते हैं।

सिर्फ इस राशि से ही निम्नलिखित का खर्च उठाया जा सकता था:

स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन

₹4,770 करोड़ वार्षिक खर्च से, यह 6 वर्षों से अधिक समय तक अवसंरचना विस्तार के लिए वित्तीय व्यवस्था कर सकता है।

जिला अस्पताल की बेहतरी

प्रति अस्पताल ₹50 करोड़ की लागत से, यह 600 से अधिक अस्पतालों का उन्नयन कर सकता है।

कौशल प्रशिक्षण

प्रति प्रशिक्षु ₹20,000 की लागत से, यह 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर सकता है।

स्ट्रीट वेंडर अवसंरचना

प्रति विक्रेता ₹20,000 की लागत से, यह 1.5 करोड़ से अधिक विक्रेताओं को समर्थन दे सकता है।

हीट शेल्टर (जलवायु अनुकूलन)

प्रति यूनिट ₹20,000 की लागत से, यह 1.5 करोड़ से अधिक शेल्टर बना सकता है।

रूफटॉप सोलर (सौर ऊर्जा)

प्रति परिवार ₹50,000 की लागत से, यह 60 लाख से अधिक परिवारों को समर्थन दे सकता है।

सार्वजनिक वाई-फाई अवसंरचना

1. प्रति यूनिट ₹5 लाख की लागत से, यह 60,000 से अधिक हॉटस्पॉट स्थापित कर सकता है।

टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों पर सिर्फ 2% संपत्ति टैक्स

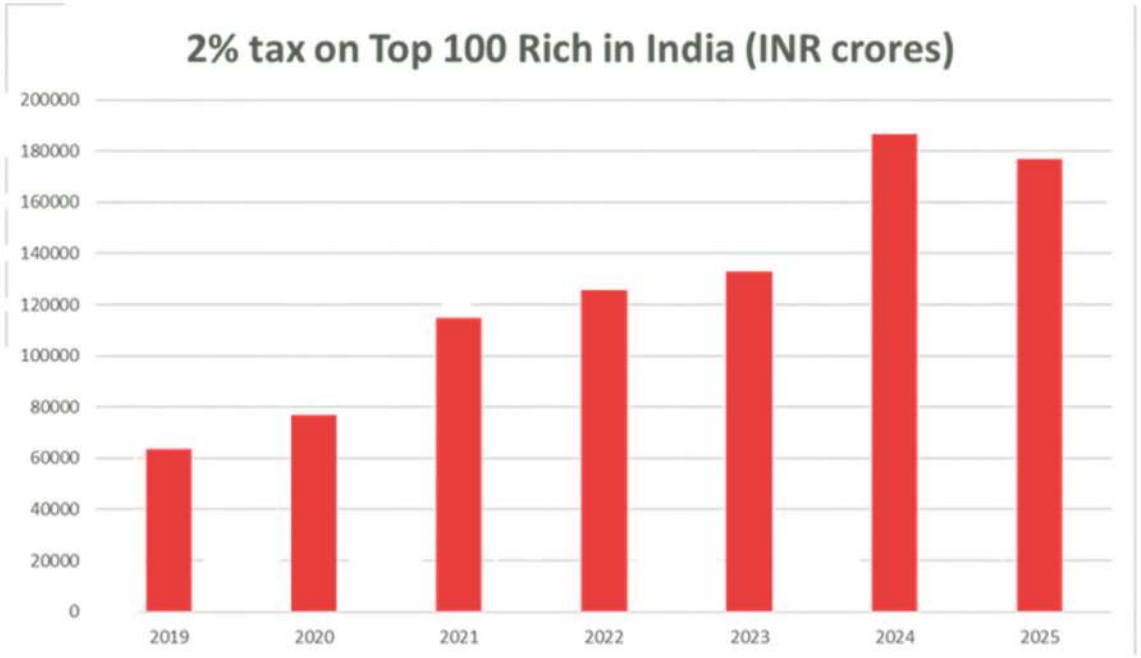

अगर भारत सबसे अमीर 100 व्यक्तियों पर सिर्फ 2% वार्षिक संपत्ति टैक्स लागू करता है:

तो इतना धन जुटाया जा सकता है:

- ₹ 0.63 लाख करोड़ 2019 में
- ₹ 0.76 लाख करोड़ 2020 में
- ₹1.14 लाख करोड़ 2021 में
- ₹1.25 लाख करोड़ 2022 में
- ₹1.32 लाख करोड़ 2023 में
- ₹1.86 लाख करोड़ 2024 में
- ₹1.76 लाख करोड़ 2025 में

यानी हर साल ₹0.63 लाख करोड़ से ₹1.86 लाख करोड़ तक जुटाए जा सकते हैं।

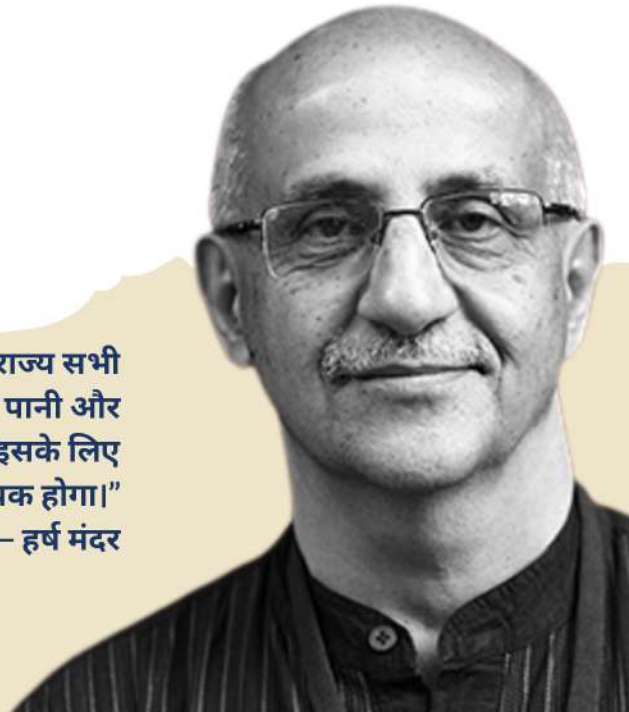

"नए भारत के हमारे विज़न की शुरुआत इस बात से होती है कि राज्य सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भोजन, पेंशन, स्वच्छ पानी और आवास मुफ्त या किफायती तरीके से उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी ले...इसके लिए अति-धनवान लोगों पर टैक्स बढ़ाने का सार्वजनिक संकल्प आवश्यक होगा।"

– हर्ष मंदर

क्या कर सकता है ₹1.76 लाख करोड़?

2026-27 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए बजट आवंटन ₹1,06,530 करोड़ था। संपत्ति कर इसे पूरी तरह कवर कर सकता है, और लगभग ₹70,000 करोड़ अतिरिक्त बचते हैं।

यह लगभग बराबरी करता है:

ग्रामीण विकास के ₹1,97,023 करोड़ आवंटन को यह लगभग पूरा कवर करता है।

अनुसूचित जाति के ₹1,96,400 करोड़ आवंटन को यह लगभग पूरा कवर करता है।

फ़र्टिलाइज़र सब्सिडी के ₹1,70,799 करोड़ आवंटन को यह पूरा कवर करता है।.

यह इससे अधिक है:

शिक्षा – ₹1,39,289 करोड़

कृषि और किसान कल्याण – ₹1,40,529 करोड़

अनुसूचित जनजाति आवंटन – ₹1,41,089 करोड़

बाल कल्याण – ₹1,32,297 करोड़

आवास एवं शहरी कार्य– ₹85,522 करोड़. 2% शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों से टैक्स राजस्व ₹0.77 लाख करोड़ है

प्रमुख योजनाओं की बात करें तो

वीबी ग्राम जी के लिए आवंटित पूरी राशि ₹96,000 करोड़ है, जो शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों पर 2% टैक्स से मिलने वाले राजस्व (₹0.77 लाख करोड़) से थोड़ा अधिक है।

सारांश: 2025 में 2% संपत्ति टैक्स से क्या राजस्व प्राप्त हो सकता है

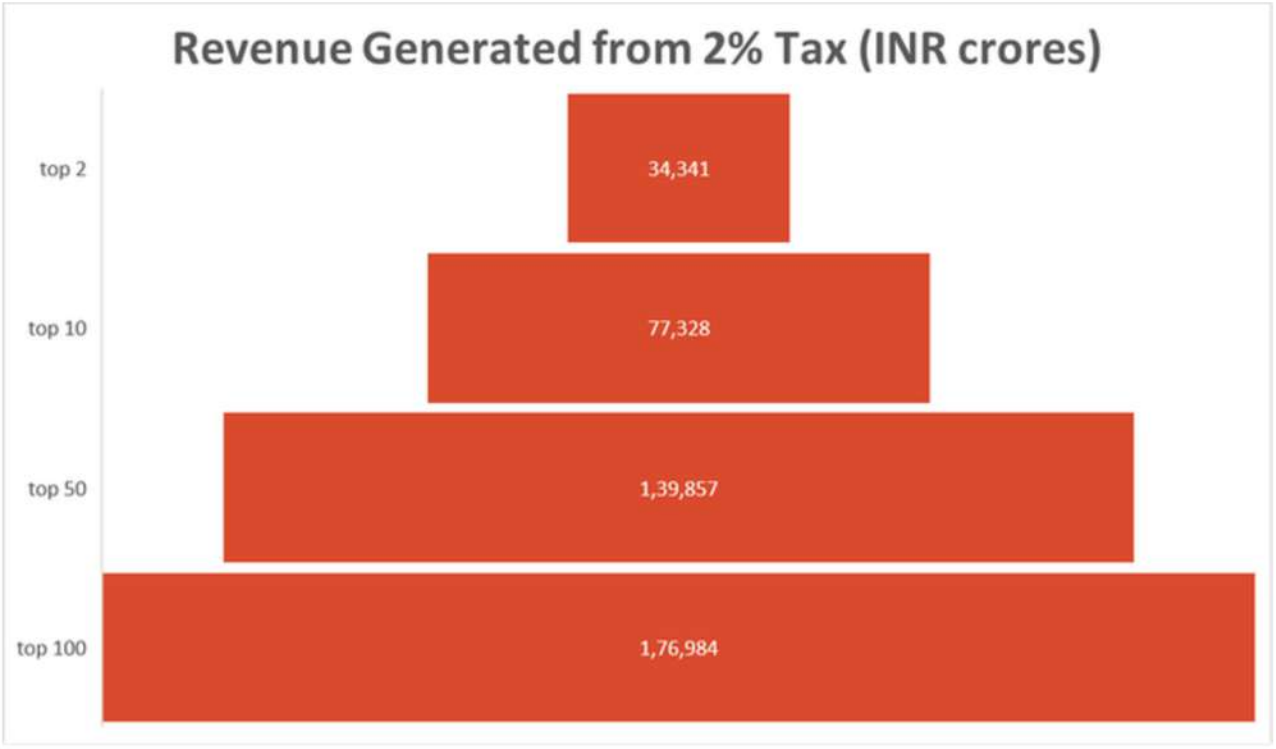

1. सबसे अमीर 100 भारतीयों पर सलाना 2% टैक्स से ₹1.77 लाख करोड़ जमा हो सकते हैं.

2. सिर्फ भारत दो सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर₹34,441 करोड़ जमा हो सकते हैं— ये कुल राजस्व का करीब 1/5 है.

3. शीर्ष 10 कंपनियां कुल राजस्व में ₹77,328 करोड़ का योगदान देंगी, जो कुल राजस्व का 44% है।

4. शीर्ष 50 कंपनियां ₹1,39,857 करोड़ का योगदान देंगी - जो कुल संग्रह का लगभग 80% है।

₹1,000 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले भारतीयों पर टैक्स

आइए इसे विस्तार से समझते हैं:

2025 की हुरुन रिच लिस्ट के अनुसार, भारत के 1,688 व्यक्तियों की कुल संपत्ति लगभग ₹166 लाख करोड़ है। यदि इस संचित संपत्ति पर केवल 2% का एक समान संपत्ति कर लगाया जाए, तो इससे लगभग ₹3.32 लाख करोड़ का राजस्व तुरंत प्राप्त हो सकता है।

अब सवाल यह है कि इस राशि से क्या किया जा सकता है?
यह रकम लगभग उतनी ही है जितनी वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और वीबी ग्राम जी जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए संयुक्त बजट आवंटन है।

यानी, यह आंकड़ा दर्शाता है कि सीमित संख्या में अत्यधिक संपन्न व्यक्तियों पर एक छोटा-सा कर भी राष्ट्रीय स्तर की कई बड़ी सामाजिक योजनाओं के बराबर संसाधन जुटा सकता है।

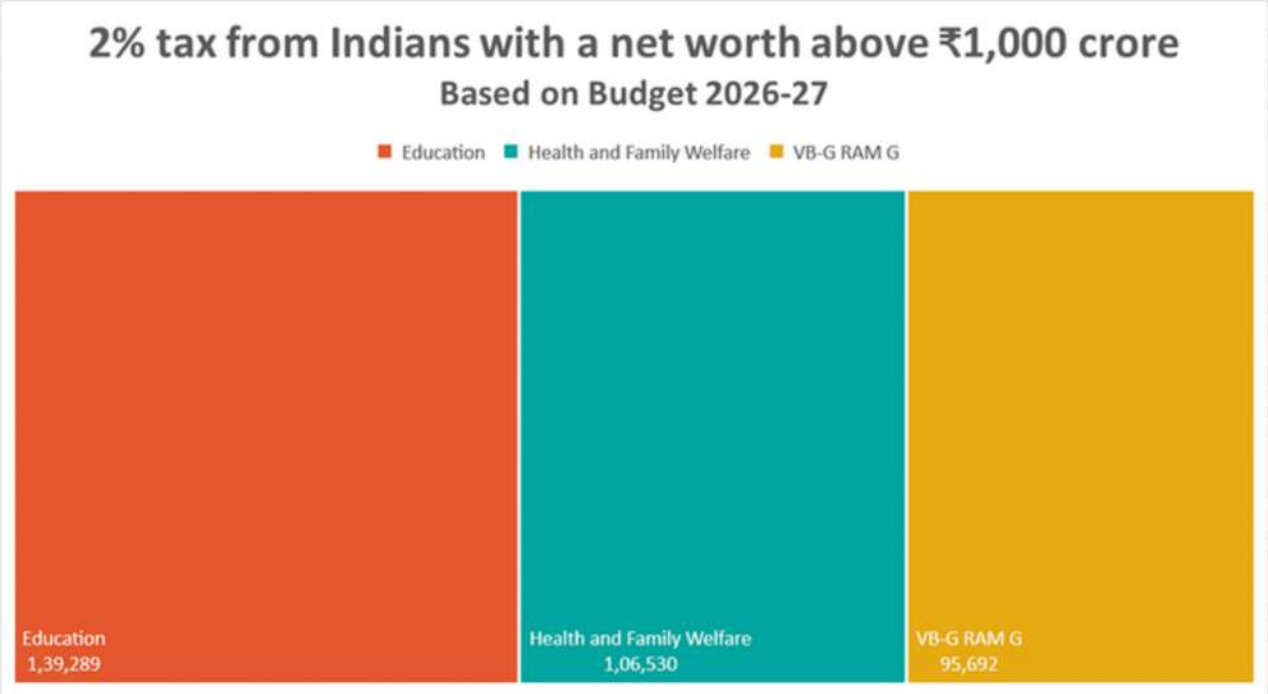

इशान आनंद और अंजना थप्पी द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए हमारे प्राइमर* के अनुसार, एक अधिक व्यावहारिक तरीका यह होगा कि प्रगतिशील संपत्ति टैक्स लगाया जाए।

इस मॉडल में, जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति बढ़ती है, वैसे-वैसे उस पर लागू टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। क्योंकि संपत्ति टैक्स का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना ही नहीं है, बल्कि अरबपतियों की असंतुलित शक्ति और प्रभाव को भी नियंत्रित करना है।

इस प्रणाली में टैक्स की सीमांत दरें 2% से 6% तक हो सकती हैं, जो व्यक्ति की कुल संपत्ति के स्तर पर निर्भर करेंगी।

यदि इसी तर्क को आज के 1,688 ऐसे परिवारों पर लागू किया जाए जिनकी संपत्ति ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है, तो इससे लगभग ₹4.67 लाख करोड़ का बड़ा राजस्व संग्रह संभव हो सकता है।

अत्यधिक संपत्ति पर प्रगतिशील टैक्स

सभी अत्यधिक संपत्ति पर एक समान 2% टैक्स लगाने के बजाय, 2% से 6% तक की सीमांत संपत्ति टैक्स दर अधिक व्यावहारिक होगी।

इसका अर्थ है:

संपत्ति (करोड़ में)	टैक्स दर
0 - ₹25,000	2%
₹25,000 – ₹50,000	3%
₹50,000 – ₹75,000	4%
₹75,000 – ₹1,00,000	5%
₹1,00,000 से ज़्यादा	6%

भारत में संपत्ति असमानता पर एक प्राइमर *(2023)* – इशान आनंद और अंजना थप्पी, *CFA* द्वारा

इस सीमांत संपत्ति टैक्स संरचना के तहत, कुल टैक्स राजस्व लगभग ₹4.67 लाख करोड़ होगा

विरासत टैक्स को भी जोड़ा जाए

एक पूंजीवादी व्यवस्था में भी विरासत जैसी पुरानी अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रभात पटनायक और जयति घोष ने संपत्ति और विरासत टैक्स की रूपरेखा में तर्क दिया है कि भले ही पूँजीवाद का एक "आदर्श" रूप (जो वास्तविकता से बहुत दूर है) मान भी लिया जाए, जो व्यक्ति की योग्यता और नवाचार पर आधारित हो, उसमें विरासत के रूप में प्राप्त संपत्ति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

इस स्थिति में, वास्तव में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक संपत्ति वाले 1,688 सबसे धनी व्यक्तियों पर 33% का विरासत टैक्स लगाया जाए। इससे भी महत्वपूर्ण राजस्व जुटाया जा सकता है और पुनर्वितरण की प्रक्रिया को कुछ हद तक मजबूत किया जा सकता है।

कुछ साल पहले, आयकर विभाग के 50 भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारियों के एक समूह ने भी इस बात पर जोर दिया था कि "अति-धनी" लोगों पर व्यापक सार्वजनिक हित सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि उनकी वर्तमान संपत्ति राज्य और नागरिकों के बीच सामाजिक अनुबंध का परिणाम है। उन्होंने सुझाव दिया था कि संपत्ति टैक्स और विरासत टैक्स दोनों को फिर से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धन के एक जगह जमा होने को कम किया जा सकता है, टैक्स आधार को व्यापक बनाया जा सकता है, राजस्व बढ़ाया जा सकता है और संपत्ति की गैरबराबरी को कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आज के डिजिटल युग में जानकारी आसानी से उपलब्ध है, और पिछले कुछ दशकों में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के कारण इन दोनों टैक्स को लागू करना अब संभव और व्यावहारिक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये टैक्स देश के 1% से भी कम लोगों पर लागू होंगे, इसलिए टैक्स अधिकारियों के ऊपर कार्यभार बड़ी आबादी की जगह बहुत छोटे समूह पर ही केंद्रित रह सकता है।

"मेरा मानना है कि विरासत टैक्स एक बहुत अच्छा विचार होगा... यह टैक्स व्यवस्था के सबसे वैध तरीकों में से एक है, क्योंकि यदि आप ऐसी संपत्ति विरासत में प्राप्त कर रहे हैं जिसे आपने न तो कमाया है और न ही बनाया है, तो राज्य को उसके विशेष कल्याणकारी कार्यों के लिए उसका कुछ हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो लोग बहुत बड़ी संपत्ति विरासत में पाते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।"

— प्रशांत भूषण

विरासत टैक्स से कितना राजस्व आ सकता है

प्रभात पटनायक और जयति घोष के अनुमान के आधार पर हमें निम्नलिखित राजस्व प्राप्त हो सकता है:

प्रत्येक वर्ष, कुल संपत्ति का 5% विरासत के रूप में स्थानांतरित होता है।

विरासत टैक्स की दर = 1/3 (लगभग 33%)
कुल संपत्ति = ₹166 लाख करोड़
वार्षिक विरासत हस्तांतरण: 5% × 166 = 8.3 लाख करोड़
विरासत टैक्स से प्राप्त राशि: (1/3) × 8.3 = 2.77 लाख करोड़

इस प्रकार, विरासत टैक्स से वार्षिक राजस्व: ₹2.77 लाख करोड़ प्रति वर्ष

दोनों टैक्स से कुल राजस्व

सूत्र	राजस्व
सीमान्त संपत्ति टैक्स	₹4.67 लाख करोड़
विरासत टैक्स	₹2.77 लाख करोड़

कुल: 4.67 + 2.77 = 7.44 लाख करोड़
कुल वार्षिक राजस्व: ₹7.44 लाख करोड़

विस्तृत जानकारी प्रभात पटनायक और जयति घोष के एक लेख में दी गई है, जो अरुणा रॉय, निखिल डे और रक्षिता स्वामी द्वारा संपादित पुस्तक "वी द पीपल" में प्रकाशित है।

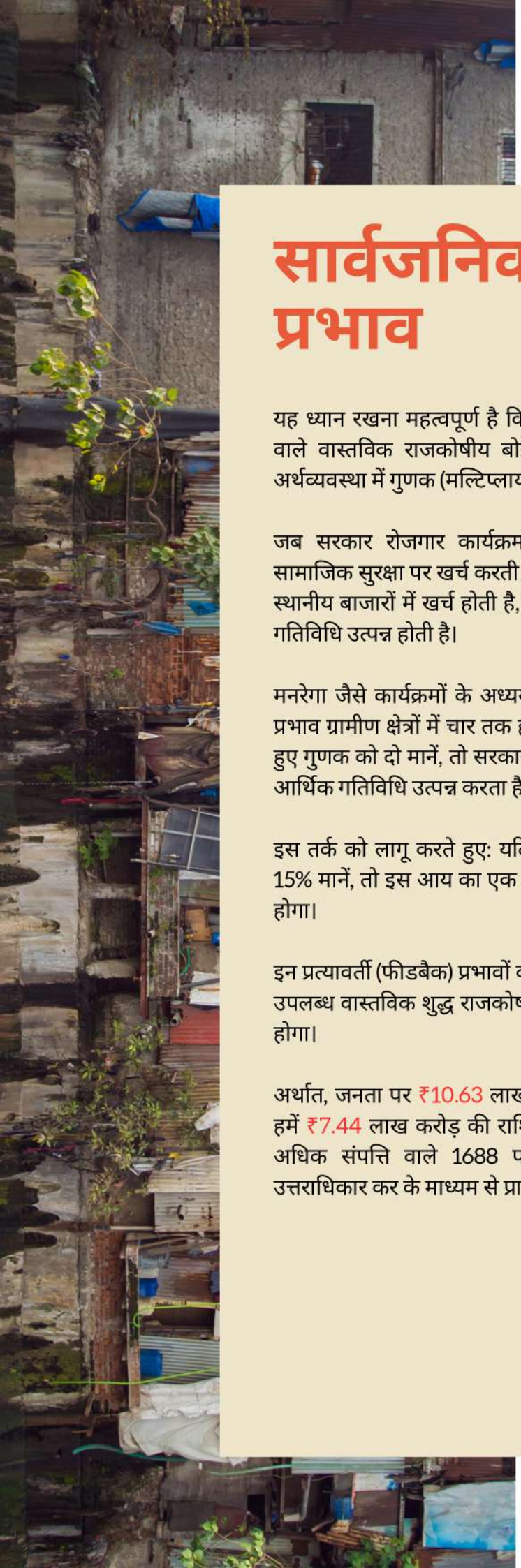

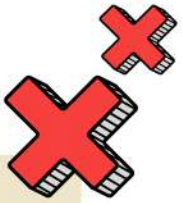

सार्वजनिक व्यय के गुणक प्रभाव

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक व्यय की कुल राशि राज्य पर पड़ने वाले वास्तविक राजकोषीय बोझ के समान नहीं होती, क्योंकि सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था में गुणक (मल्टिप्लायर) प्रभाव उत्पन्न करता है।

जब सरकार रोजगार कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करती है, तो इससे लोगों की आय बढ़ती है। ये आय आगे स्थानीय बाजारों में खर्च होती है, जिससे अतिरिक्त उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होती है।

मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ऐसे खर्च का गुणक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में चार तक हो सकता है। यदि हम अधिक सतर्क अनुमान लेते हुए गुणक को दो मानें, तो सरकार द्वारा खर्च किया गया प्रत्येक ₹1 लगभग ₹2 की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है।

इस तर्क को लागू करते हुए: यदि हम अतिरिक्त उत्पन्न आय पर औसत टैक्स दर 15% मानें, तो इस आय का एक हिस्सा करों के माध्यम से सरकार को वापस प्राप्त होगा।

इन प्रत्यावर्ती (फीडबैक) प्रभावों को ध्यान में रखने के बाद, सार्वजनिक व्यय के लिए उपलब्ध वास्तविक शुद्ध राजकोषीय विस्तार लगभग ₹10.63 लाख करोड़ प्रतिवर्ष होगा।

अर्थात, जनता पर ₹10.63 लाख करोड़ खर्च करने में सक्षम होने के लिए, अंततः हमें ₹7.44 लाख करोड़ की राशि जुटानी होगी, जो कि ₹1000 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले 1688 परिवारों पर प्रगतिशील संपत्ति कर और 1/3 उत्तराधिकार कर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

₹10.63 लाख करोड़ का किन क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है?

केंद्रीय बजट के साथ तुलना करने पर ₹10.63 लाख करोड़ की राशि का महत्व स्पष्ट हो जाता है। खाद्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और ग्रामीण विकास सहित प्रमुख सामाजिक और आर्थिक मंत्रालयों के लिए 2026-27 में कुल आवंटन लगभग ₹10.03 लाख करोड़ है। दूसरे शब्दों में कहें तो, संसाधनों का यह एकल स्रोत देश भर में आजीविका और कल्याण को बनाए रखने वाले इन प्रमुख क्षेत्रों पर होने वाले संपूर्ण वार्षिक व्यय के लगभग बराबर है।

मंत्रालय	आवंटन
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	239,521
कृषि और किसान कल्याण	140,529
शिक्षा	139,289
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	106,530
आवास और शहरी मामले	85,522
ग्रामीण विकास	197,023
जल शक्ति	94808
कुल	**1,003,222**

अतिरिक्त ₹10.63 लाख करोड़ के व्यय के लिए प्रस्ताव

परिदृश्य 1: स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन सुनिश्चित करना

यह परिदृश्य दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता देता है, विशेष रूप से बुनियादी आवश्यकताओं—स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में

मुख्य विचार यह है कि उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए किया जाए। इन दोनों क्षेत्रों को तुरंत जीडीपी का अतिरिक्त 1% दिया जाए, जिससे इन पर सार्वजनिक व्यय 6% जीडीपी के व्यापक रूप से अनुशंसित स्तर के करीब पहुँच सके और पहुंच व गुणवत्ता में मौजूद लगातार कमियों को दूर किया जा सके।

इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं की ओर भी निर्देशित किया गया है, ताकि बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि सम्मानजनक बनाई जा सके। वर्तमान में केंद्र सरकार का योगदान पिछले 15 वर्षों से ₹200 प्रति माह पर स्थिर है।

अत्यधिक धनी वर्ग पर कर लगाकर प्राप्त राजस्व के माध्यम से पेंशन राशि को दैनिक जीवन निर्वाह मजदूरी (₹800) के आधे के बराबर (₹400 प्रति दिन) किया जा सकता है, जिससे मासिक पेंशन ₹12,000 तक पहुँच सकती है।

सेक्टर	आवंटन (₹ लाख करोड़)
शिक्षा	3.5
स्वास्थ्य	3.5
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धा)	3.6

सेक्टर/ मंत्रालय	वर्तमान आवंटन (₹ करोड़)	अतिरिक्त आवंटन (₹ करोड़)	कुल (₹ करोड़)
शिक्षा	139,289	350,000	489,289
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	106,530	350,000	456,530
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धा)	6,904	360,000	366,904

परिदृश्य 1

शिक्षा (₹3.5 लाख करोड़ अतिरिक्त)

+ 1% OF GDP

स्कूल के बुनियादी ढांचे का उन्नयन

लगभग 1.5 लाख सरकारी स्कूलों को ₹1 करोड़ प्रति स्कूल की लागत से उन्नत करने के लिए ₹1.5 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी, जिससे कक्षाओं, स्वच्छता और शिक्षण सुविधाओं में सुधार संभव हो सकेगा।

अध्यापक भर्ती

10 लाख शिक्षकों को औसतन 5 लाख रुपये की वार्षिक लागत पर नियुक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिससे विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात कम हो जाएगा।

उच्च शिक्षा का फैलाव

लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना और उन्हें मजबूत बनाने से शिक्षा तक पहुंच और अनुसंधान क्षमता का विस्तार होगा।

डिजिटल एक्सेस (डिवाइस + कनेक्टिविटी)

1.85 करोड़ छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए ₹37,000 करोड़ की आवश्यकता होगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का फैलाव

2 करोड़ रुपये प्रति केंद्र की लागत से 25,000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए मानव संसाधन

डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की ज़रूरत होगी।

स्वास्थ्य

(₹3.5 लाख करोड़ अतिरिक्त)

1% जीडीपी का

ज़िला अस्पतालों की बेहतरी

प्रत्येक 759 ज़िला अस्पतालों को 50 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत करने के लिए लगभग 38,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना (प्रयोगशालाएँ और उन्नत स्कैनिंग इकाइयाँ)

महामारी की तैयारी और निदान के लिए ₹50,000 करोड़।

सार्वभौमिक निःशुल्क दवाएं और डायग्नोस्टिक

Expanding public provisioning with ₹75,000 crore annually.

फिलहाल केंद्र सरकार का हिस्सा शर्मनाक रूप से मात्र 200 रुपये प्रति माह है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था)
(₹3.6 लाख करोड़)

2 करोड़ से अधिक बुजुर्ग और कमजोर आबादी को प्रतिदिन 400 रुपये के बराबर पेंशन प्रदान करने के लिए सालाना 3.6 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

परिदृश्य 2: जलवायु अनुकूलन, मनरेगा, एलपीजी संकट, किसानों के लिए एमएसपी और एयर प्यूरीफायर हेतु बजट सुनिश्चित करना

यह परिदृश्य जलवायु अनुकूलन, मनरेगा, एयर प्यूरीफायर और एलपीजी संकट की स्थिति में सामुदायिक रसोई जैसे उपायों के लिए बजट को प्राथमिकता देता है।

संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा मनरेगा के विस्तार के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। वर्तमान में मनरेगा की औसत मजदूरी लगभग ₹300 प्रतिदिन है, इसलिए ₹500 प्रतिदिन का अतिरिक्त भुगतान (कुल ₹800 प्रतिदिन तक) 100 दिनों के कार्य के लिए दिया जा सकता है, जिससे जीवन-निर्वाह मजदूरी की मांग पूरी हो सके। इसका उद्देश्य मनरेगा को समाप्त करना नहीं, बल्कि ग्रामीण आय को बढ़ाना और मजदूरी को जीवन-निर्वाह स्तर के करीब लाना है, विशेषकर ऐसे समय में जब बुनियादी जरूरतों के मुकाबले मजदूरी कम है।

इसके साथ-साथ जलवायु अनुकूलन के लिए भी बड़ा बजट आवंटित किया गया है। एशिया-प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) की एशिया-प्रशांत आपदा रिपोर्ट 2021 और 2022 के अनुसार, एशिया में अनुकूलन पर वार्षिक निवेश की आवश्यकता सबसे अधिक चीन के लिए (USD 188.8 बिलियन), उसके बाद भारत के लिए (USD 46.3 बिलियन) और जापान के लिए (USD 26.5 बिलियन) अनुमानित है। भारत में यह लागत लगभग 1.3% जीडीपी के बराबर बैठती है।

एलपीजी संकट के संदर्भ में, जहाँ वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण गरीब परिवार सिलेंडर की कीमतों और उपलब्धता की समस्या झेल रहे हैं, सरकार शहरी गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई नेटवर्क स्थापित करने हेतु संसाधन आवंटित कर सकती है।

किसानों की फसलों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को भी पूरा किया जा सकता है। इसके लिए अनुमानित ₹1,50,000 करोड़ के बजट की आवश्यकता होगी ताकि सभी फसलों पर एमएसपी सुनिश्चित किया जा सके। इसका मूल तर्क यह है कि निम्न आय वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने से स्थानीय आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, गुणक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और व्यापक बेरोजगारी व आर्थिक संकट की स्थिति में त्वरित राहत मिलती है।

कार्यक्रम	आवंटन (₹ लाख करोड़)
मनरेगा की मज़बूती	3.94
पर्यावरण अनुकूलन	4.49
एयर प्यूरीफायर	0.3
एलपीजी गैस की समस्या के दौरान सामुदायिक रसोई	0.4
एमएसपी	1.5

कार्यक्रम/योजना	वर्तमान आवंटन (₹ करोड़)	अतिरिक्त आवंटन (₹ करोड़)	कुल (₹ करोड़)
ग्रामीण विकास (मनरेगा)	197,023	394,000	591,023
पर्यावरण अनुकूलन		449,000	
कृषि और एमएसपी	140,529	150,000	290,529
सामुदायिक रसोई		40,000	
एयर प्यूरीफायर	_____	30,355	

परिदृश्य 2

मनरेगा को मज़बूती (₹3.94 लाख करोड़)

- लगभग 7.88 करोड़ श्रमिकों के लिए 100 दिनों के रोजगार पर मनरेगा की मजदूरी में ₹500 प्रति दिन की अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए प्रति वर्ष लगभग ₹3.94 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी।
- कुल लगभग ₹6 लाख करोड़ के प्रावधान से इस कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जा सकता है। इससे ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और मजदूरी को सम्मानजनक जीवन-निर्वाह स्तर के करीब लाने में मदद मिलेगी।

एमएसपी के तहत खरीद (₹1.5 लाख करोड़)

- फसलों की खरीद का विस्तार करने के लिए ₹1.5 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी, जिससे किसानों की आय को मज़बूत और बढ़ाया जा सकेगा।

जलवायु अनुकूलन (कुल जीडीपी के 1.3 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना)

- शहरी ताप न्यूनीकरण (कूलिंग सेंटर + आश्रय)
- जलवायु-सहिष्णु कृषि
- बाढ़ नियंत्रण और शहरी जल निकासी

एलपीजी संकट की परिस्थिति में सामुदायिक रसोई

- एलपीजी संकट को देखते हुए, हम शहरी गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने हेतु ₹40,000 करोड़ का आवंटन कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

एयर प्यूरीफायर

- ₹10,000 प्रति यूनिट की लागत वाले नि:शुल्क एयर प्यूरीफायर प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे 3 करोड़ से अधिक एयर प्यूरीफायर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
- यह वर्तमान प्रदूषण की स्थिति में करोड़ों संवेदनशील लोगों के लिए जीवनरक्षक उपकरण साबित हो सकता है।

अति अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ

परिदृश्य 3: जलवायु अनुकूलन, वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्ट्रीट वेंडर्स, किसानों के लिए एमएसपी और रूफटॉप सोलर हेतु बजट सुनिश्चित करना

यह परिदृश्य जलवायु अनुकूलन, वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्ट्रीट वेंडर्स, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और रूफटॉप सोलर के लिए बजट को प्राथमिकता देता है।

जलवायु अनुकूलन के लिए एक बड़ा आवंटन निर्धारित किया गया है। एशिया-प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) की एशिया-प्रशांत आपदा रिपोर्ट 2021 और 2022 के अनुसार, एशिया में अनुकूलन पर वार्षिक निवेश की आवश्यकता चीन के लिए USD 188.8 बिलियन, भारत के लिए USD 46.3 बिलियन और जापान के लिए USD 26.5 बिलियन आंकी गई है। जीडीपी के अनुपात में यह लागत भारत के लिए सबसे अधिक, लगभग 1.3% है।

वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए गए हैं, ताकि बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि सम्मानजनक बनाई जा सके। वर्तमान में केंद्र सरकार का योगदान पिछले 15 वर्षों से ₹200 प्रति माह पर स्थिर है। अत्यधिक धनी वर्ग पर कर लगाकर प्राप्त राजस्व के माध्यम से पेंशन को दैनिक जीवन-निर्वाह मजदूरी (₹800) के आधे यानी ₹400 प्रतिदिन के बराबर किया जा सकता है, जिससे मासिक पेंशन ₹12,000 तक पहुँच सकती है।

शहरी असंगठित क्षेत्र के कामगारों, विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स, के लिए भी लक्षित निवेश का प्रावधान है। इसमें कियोस्क, सौर ऊर्जा, हीट शेल्टर, शौचालय और भंडारण जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है।

किसानों की फसलों के लिए न्यायसंगत एमएसपी सुनिश्चित करने की मांग को भी पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए सभी फसलों पर एमएसपी लागू करने हेतु लगभग ₹1.5 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी।

इन सबके साथ, उत्पन्न राजस्व के माध्यम से प्रत्येक परिवार को रूफटॉप सोलर के लिए ₹50,000 की सब्सिडी भी दी जा सकती है, जिससे 2 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिल सकेगा।

कार्यक्रम/योजना	आवंटन (₹ लाख करोड़)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था)	3.6
पर्यावरण अनुकूलन	4.49
सौर ऊर्जा	101
स्ट्रीट वेंडर	0.4
एमएसपी	1.5

कार्यक्रम/योजना	वर्तमान आवंटन (₹ करोड़)	अतिरिक्त आवंटन (₹ करोड़)	कुल (₹ करोड़)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था)	197,023	394,000	591,023
पर्यावरण अनुकूलन		449,000	
कृषि और एमएसपी	140,529	150,000	290,529
स्ट्रीट वेंडर	85,522	40,000	125,522
सौर ऊर्जा	_____	101,427	

परिदृश्य 3

एमएसपी पर खरीद (₹1.5 लाख करोड़)

- विभिन्न फसलों और क्षेत्रों में खरीद का विस्तार करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।

स्ट्रीट वेंडर (₹0.4 लाख करोड़)

- प्रत्येक 2 करोड़ विक्रेताओं को 20,000 रुपये प्रदान करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिससे काम करने की स्थितियों में सुधार होगा और विक्रेताओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

पर्यावरण अनुकूलन (कुल जीडीपी के 1.3 प्रतिशत को प्राप्त करना)

- शहरी ताप शमन (शीतलन केंद्र + आश्रय)
- जलवायु अनुकूल कृषि
- बाढ़ नियंत्रण और शहरी जल निकासी

हर घर सौर ऊर्जा

- इससे प्राप्त राजस्व से प्रत्येक परिवार को छत पर सौर पैनल लगाने के लिए ₹50,000 की सब्सिडी भी सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे 2 करोड़ से अधिक परिवारों को सहायता मिल सकती है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था)

- 2 करोड़ से अधिक वृद्ध और असहाय आबादी को प्रतिदिन 400 रुपये के बराबर पेंशन प्रदान करने के लिए सालाना 3.6 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

फैलाए गए डर और मिथकों का खंडन करना है ज़रुरी

संपत्ति टैक्स को लेकर अक्सर कई विरोधी तर्क दिए जाते हैं। हमें बार-बार यह बताया जाता है कि अमीरों पर टैक्स लगाने से अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है यह निवेश को हतोत्साहित करता है, मुनाफे को कम करता है, विकास की गति को धीमा करता है और इसे लागू करना भी बहुत कठिन है। लेकिन जब हम इन दावों को गहराई से देखते हैं, तो ये तर्क कमजोर पड़ जाते हैं।

1. **सबसे पहले यह दावा कि अमीरों पर टैक्स लगाने से निवेश का माहौल खराब होता है और संपत्ति सृजन रुक जाता है**, यह मान लेता है कि निवेश केवल इस बात पर निर्भर करता है कि अमीर कितना धन अपने पास रखते हैं। वास्तव में, अर्थव्यवस्था तब बढ़ती है जब मांग मजबूत होती है। टैक्स से प्राप्त राजस्व के माध्यम से होने वाला सार्वजनिक व्यय लोगों की आय बढ़ाता है, उनकी क्रय शक्ति में सुधार करता है और बाजार में मांग पैदा करता है। यही वह आधार है जिस पर निजी निवेश और विस्तार टिकता है। इसलिए, पुनर्वितरण विकास को बाधित नहीं करता, बल्कि उसे नीचे से मजबूत करता है।

2. **दूसरा तर्क यह है कि अमीरों पर टैक्स लगाने से मुनाफा घटता है और उद्यमशीलता कम होती है**। लेकिन यह तर्क एक महत्वपूर्ण आर्थिक वास्तविकता को नजरअंदाज करता है। जब सरकारें टैक्स वसूलकर उसे बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं में पुनर्निवेश करती हैं, तो इससे मांग बढ़ती है। बढ़ी हुई मांग उत्पादन को बढ़ाती है और अंततः मुनाफे को बनाए रखने या बढ़ाने में मदद कर सकती है। असली बाधा टैक्स व्यवस्था नहीं, बल्कि राजकोषीय घाटे को लेकर सरकारों की खर्च करने में हिचकिचाहट है।

.

3. **एक और आम दावा यह है कि अमीरों पर टैक्स लगाना आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है**। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण इसके विपरीत संकेत देते हैं। 20वीं सदी के मध्य, विशेष रूप से 1940 से 1980 के बीच, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में विकास दरें सबसे अधिक थीं—और यह वही समय था जब अमीरों पर टैक्स की दरें आज की तुलना में काफी अधिक थीं। इसके विपरीत, हाल के दशकों में टैक्स कटौती के दौर अक्सर धीमी वृद्धि और संपत्ति के तीव्र एक जगह या एक के पास इकठ्ठा होने के साथ जुड़े रहे हैं।

.

4 **अंत में यह तर्क दिया जाता है कि संपत्ति पर टैक्स लगाना बहुत कठिन है।** यह सही है कि आज की संपत्ति अक्सर जटिल वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में होती है, न कि केवल भूमि या संपत्ति जैसे आसानी से मापे जाने वाले रूप में। लेकिन यह इस टैक्स प्रणाली को छोड़ देने का कारण नहीं है बल्कि इसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। यदि हम वास्तव में न्याय और समानता के प्रति गंभीर हैं तो वित्तीय परिसंपत्तियों को भी प्रगतिशील टैक्स प्रणाली के दायरे में शामिल करना संभव भी है और आवश्यक भी।

अंततः सवाल यह नहीं है कि हम अमीरों पर टैक्स लगा सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ें जो सभी के लिए काम करे।

निष्कर्ष:
संपत्ति टैक्स से आगे

संपत्ति टैक्स निश्चित रूप से कोई जादुई समाधान नहीं है।

हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह नवउदारवादी) सिद्धांतों के उस ढांचे को पलटना है जो लोगों से अधिक लाभ को प्राथमिकता देता है। हमें ऐसे एक प्रणाली की आवश्यकता है, जैसा कि प्रभात पटनायक ने सुझाया है, जिसमें सार्वभौमिक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को लोकतंत्र की मूल परिभाषा का हिस्सा माना जाए।

असमानता के विरुद्ध संघर्ष और संपत्ति टैक्स की मांग तथा उससे जुड़ा पुनर्वितरण आधारित न्याय, अधिक समान और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण दिशा की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम समाज में मौजूद वास्तविक विभाजन को छिपाने के प्रयासों का विरोध करता है, जिसे अक्सर विभाजनकारी और सांप्रदायिक एजेंडों तथा नफरत के माध्यम से ढका जाता है। यह संविधान की भावना को वास्तविक रूप देने की दिशा में एक कदम है।

लेकिन संपत्ति टैक्स को एक प्रभावी राजनीतिक विमर्श बनाने और लोगों को इस मांग से ठोस रूप से जोड़ने के लिए हमें ऐसे उपकरणों की आवश्यकता है जो इस विचार को अधिक सुलभ बना सकें। हमें उम्मीद है कि यह संकलन उसी उद्देश्य को पूरा करेगा। एक वार्षिक अभ्यास के रूप में, वेल्थ ट्रैकर इस विचार को याद दिलाने और उसे बार-बार दोहराने का एक माध्यम बन सकता है जिससे इसे नवउदारवादी उदासीनता और असंवेदनशीलता की दीवार के खिलाफ लगातार स्थापित किया जा सके।

टैक्स द टॉप अभियान एक जन-आंदोलन, ट्रेड यूनियनों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों द्वारा संचालित पहल है। इसकी मांग है कि देश के अत्यंत धनी वर्ग पर संपत्ति और विरासत टैक्स लगाया जाए, ताकि ऐसे संसाधन जुटाए जा सकें जो सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित कर सकें।

आज भारत में गैरबराबरी का स्तर औपनिवेशिक काल के समान माना जा रहा है। देश की सबसे अमीर 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। शीर्ष 10% लोग राष्ट्रीय आय का लगभग 60% हिस्सा प्राप्त करते हैं, जबकि आबादी के निचले 50% हिस्से के पास केवल 15% आय बचती है। करोड़ों लोग थमी हुई आय के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वहीं 2019 से 2025 के बीच ₹1000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले भारतीयों की संख्या में लगभग 77% की वृद्धि हुई है। यह बेहद चिंताजनक है कि आज मेहनत से कमाने वाले व्यक्ति अक्सर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक टैक्स चुका रहे हैं और इसका बोझ अंततः जनता पर ही पड़ता है, क्योंकि सरकार कल्याणकारी खर्च और सामाजिक सुरक्षा में कटौती करती है।

अंततः यह एक राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रश्न है: क्या हम एक वैकल्पिक, जन-हितैषी भविष्य की दिशा चुनते हैं जो भारत की बहुसंख्यक आबादी की भलाई सुनिश्चित करे या फिर हम उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जिसने करोड़ों लोगों को निराशा में धकेला है और अत्यंत धनी वर्ग के लिए अत्यधिक मुनाफा सुनिश्चित किया है।

सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (CFA) वित्तीय संस्थानों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण, निगरानी और मूल्यांकन करता है, तथा विकास, मानवाधिकार और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। हमारा कार्य शोध और कार्यक्रमों दोनों के माध्यम से संचालित होता है।

हम नागरिक समाज, जन-आंदोलनों, आम जनता, मीडिया संस्थानों, नीति-निर्माताओं और सांसदों जैसे विविध पाठकों के लिए सूचना संसाधन और नीतिगत विश्लेषण तैयार करते हैं।

हमारे जागरूकता कार्यक्रम वित्तीय प्रणाली को सरल और समझने योग्य बनाते हैं, ताकि जनता में वित्तीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़े और वित्तीय जवाबदेही पर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहन मिले।

TAX THE TOP

CFA
Centre for Financial Accountability

www.taxthetop.org | www.cenfa.org

Write to us at standagainstinequality2026@gmail.com or just send a missed call at 8951050308 to get all our updates and fortnightly newsletters.